अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र

सर्वोदय जगत

वर्ष-40, अंक-19, 16-31 मई, 2017

27 मई, पं. जवाहरलाल नेहरू : पुण्यतिथि
विनम्र श्रद्धांजलि

''मैंने वर्षों से कहा है और अब भी कह रहा हूं कि जवाहरलाल मेरे उत्तराधिकारी होंगे। उनका कहना है कि वे मेरी भाषा नहीं समझते और वे मेरे लिए एक विदेशी भाषा बोलते हैं। यह सच हो या न हो, भाषा हृदय-मिलन में बाधक नहीं होती और मैं जानता हूं कि मेरे बाद वे मेरी ही भाषा बोलेंगे।''

- महात्मा गांधी

सर्व सेवा संघ
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल)
द्वारा प्रकाशित

अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र
सर्वोदय जगत
सत्य, अहिंसा एवं सर्वोदय-सम्पूर्ण क्रांति का संदेश वाहक

वर्ष : 40, अंक : 19, 16-31 मई, 2017

प्रधान संपादक
बिमल कुमार
मो. : 9235772595
संपादक
अशोक मोती
मो. : 9430517733

संपादक मंडल
डॉ. रामजी सिंह भवानी शंकर 'कुसुम'

संपादकीय कार्यालय
सर्व सेवा संघ, साधना केन्द्र
राजघाट, वाराणसी-221001 (उ.प्र.)
फोन : 0542-2440-385/223
ईमेल : sarvodayajagat@gmail.com
Website : sssprakashan.com

शुल्क

मूल्य	:	05 रुपये
वार्षिक	:	100 रुपये
आजीवन	:	1000 रुपये

खाता संख्या : 383502010004310
IFSC No. UBIN-0538353
Union Bank of India
Rajghat, Varanasi

इस अंक में...

1. अस्मिताएं और लोकतंत्र... 2
2. चम्पारण में अंधेर... 3
3. गांधी के अंतिम जन की परिकल्पना... 8
4. गांधी के विचारों को जन-जन तक... 9
5. पंडित नेहरू और राष्ट्रवाद... 12
6. कछुआ और खरगोश... 14
7. सम्मान पत्र... 17

संपादकीय

अस्मिताएं और लोकतंत्र

हम प्रचण्ड बहुमत वाले लोकसभा एवं विधान सभाओं को देख रहे हैं। लेकिन आम नागरिक उदासीन-सा है। दलों के अनुयायियों को छोड़ दें तो सत्ता की केन्द्रीयता लोगों के मन में कोई आशा का संचार नहीं करती। पार्टियां तो प्रतिस्पर्धा में थीं हीं, लोक भी अधिकाधिक छोटी-छोटी अस्मिताओं में बंटता जा रहा है। अस्मिताएं/पहचान, अपने सामाजिक इकाई में आंतरिक शक्ति मजबूत करने का माध्यम नहीं बन रही हैं। उससे उलट उनके नेता सत्ता से शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। और अपने सामाजिक इकाई के सदस्यों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा सत्ता से प्राप्त शक्ति से उनकी सामाजिक इकाई को भी शक्ति प्राप्त होगी। इसके फलस्वरूप पार्टियों की प्रतिस्पर्धा, व्यक्तियों की प्रतिस्पर्धा में तब्दील हो जाती है। वैचारिक व सैद्धान्तिक बहस या मुद्दे दिखावटी रह जाते हैं।

विभिन्न अस्मिताओं की ईकाइयों में आंतरिक शक्ति तभी मजबूत होगी जब वे समता आधारित एवं सम्मान आधारित व्यापक एकता की ईकाइयों के रूप में विकसित होंगी। अन्यथा, यदि संसदीय बहुमत पूरे देश को (या विधान मंडल में बहुमत पूरे प्रदेश को) एक रूप या समरूप बनाने के अभियान में छोटी स्वायत्त ईकाइयों को रौंदने का काम करेगा तो इन ईकाइयों में प्रतिगामी शक्तियों का उभार होगा। प्रतिगामी शक्तियां सदैव यह मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाती हैं कि उनका समूह खतरे में है। एक बार इस सामूहिक मानसिकता का विकास हो जाता है कि उनका समूह खतरे में है या उनके समूह के प्रति भेदभाव हो रहा है, तो प्रतिगामी शक्तियों के लिए यह आसान हो जाता है कि समूह की सामूहिक चेतना को संकीर्ण स्तर पर बांधे रखें। संकीर्ण मानसिकता के निर्माण के बाद यह सम्भव हो जाता है कि व्यापक एकता की ओर बढ़ने के बजाय, समूह को प्रतिगामी नेतृत्व द्वारा बाड़ा-बन्द मानसिकता में ढकेल दिया जाये। अर्थात अन्य से अधिक से अधिक कट कर अपनी पहचान को दृढ़ता प्रदान करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। बाहरी सम्पर्क से कट कर अपनी पहचान को दृढ़ बनाने का प्रयास जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, उस समूह के अन्दर की प्रतिगामी शक्तियां उतनी ही मजबूत होती जाती हैं। वे बहुमत द्वारा एक रूप राष्ट्र बनाने के अभियान को अपने समूह के खिलाफ षड्यंत्र के रूप में देखने लगती हैं तथा प्रतिगामी स्वरूप के साथ, उनका विरोध भी शुरू कर देती हैं। साथ ही अपने समूह को एकरूप बनाने में जुट जाती हैं।

इन परिस्थितियों में स्वायत्त ईकाइयों के बीच स्वाभाविक सहज एकता के निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है। एक स्वायत्त इकाई के साथ सहजीवी होने की प्रक्रिया मजबूत नहीं कर पाती है। क्योंकि स्वायत्त इकाईयों को परस्पर संवाद बनाने के बजाय एक केन्द्रीय सत्ता के साथ तालमेल बिठाना होता है। और, यदि बहुमत के दम्भ में केन्द्रीय सत्ता एकरूप बनाने के अभियान में जुटी हो तो विभिन्न स्तर पर स्वायत्त इकाईयां विद्रोह व प्रतिरोध के टापू के रूप में उभरने लगती हैं। इसकी प्रतिक्रिया में बहुमत का एकरूप बनाने का अभियान प्रतिरोधों व विद्रोहों को दबाने के नाम पर सैन्य कार्यवाई का रूप लेने लगता है। दुनिया भर में एकरूपता लाने का अभियान अंततः सैन्य कार्रवाई में ही बदल जाता है। इसे प्रारम्भ में बहुमत का समर्थन मिलता है, किन्तु इससे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। एकरूपता के निर्माण के समर्थक, बहुलता एवं विविधता के समर्थकों को देशद्रोही करार देने लगते हैं। बहुमत के प्रतीक व बहुमत के मिथक ही राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किये जाने लगते हैं। बहुमत की प्रतिगामी शक्तियां एवं स्वायत्त इकाईयों की प्रतिगामी शक्तियां अलग-अलग तरह की एकरूपता के निर्माण में लग जाती हैं। इस कारण स्वायत्तताओं की भागीदारी व हिस्सेदारी वाले संप्रभुतापूर्ण राष्ट्र निर्माण नहीं हो पाता। राष्ट्र की संप्रभुता इस रूप में प्रस्तुत की जाती है, जिसमें सभी पहचानों का विलय हो जाना है।

बिमल कुमार

चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी विशेष

चम्पारण में अंधेर

❑ पीर मुहम्मद मुनिस

''किसी जाति को, किसी जाति पर मनमाना शासन करने का अधिकारी कदापि नहीं है। यदि कोई जाति ऐसा करे तो वह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है।''

(राजनीतिशास्त्र)

बिहार प्रांत में चम्पारण एक जिला है। उसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में सारण, पश्चिम में गोरखपुर (संयुक्त प्रांत) और पूरब में दरभंगा का राज्य अवस्थित है। जिले का क्षेत्रफल 3515 वर्ग मील और मनुष्य संख्या लगभग 18 लाख है। यह जिला नेपाल की तराई में है। इसमें दो जमींदार हैं, जिसमें सबसे प्रभावशाली स्वर्गीय महाराज बेतिया की जमींदारी है, जिसका राजस्व लगभग 32,00,000 रुपये सालाना है। स्वर्गीय महाराज के कोई उत्तराधिकारी नहीं रहने के कारण राज्य कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन है। बेतिया राज्य के अंतर्गत 50-60 नील की कोठियां यूरोपियन गोरों की है और यही लोग विशेषकर राज्य के गांवों के ठेकेदार हैं। ये लोग अपने अधीन प्रजाओं के खेतों में से बिगहा तीन कट्ठा जमीन अपने लिए रखते हैं। जिसमें वहां की प्रजा इसे ''तीन कठिया लगान'' के नाम से पुकारती है। फी बीघा तीन कट्ठा जमीन को जोतना, कोड़ना और आबाद करना (केवल नील का बीज नीलहों का रहता है) आदि प्रजाओं के सिर पर है। मगर, साहब बहादुर की ओर से इस तीन कट्ठे जमीन का दाम 2 या 3 रुपया भाग्यवश कभी मिल जाता है। इस ''तीन कठिया लगान'' की रीति को वहां की प्रजा नाजायज समझती है। इसके अतिरिक्त वहां पर कई प्रकार के बेगार, अमही, कटहरी 9 आम और कटहल के वृक्ष पर टैक्स), फगुनही (फागुन के उत्सव पर का टैक्स), हथीमही (साहेब बहादुर के हाथी खरीदने का टैक्स), मोटर गाड़ी खरीदने का टैक्स आदि अनेक प्रकार का टैक्स कोठी के अधीन प्रजाओं से जबर्दस्ती वसूल किये जाते हैं, जिसको वहां की प्रजा ने अदालत में सैकड़ों बार कहा और इन नाजायज टैक्सों के विरुद्ध अपनी पुकार भी मचायी है पर, किसकी कौन सुनता है। नक्कारखाने में तूती की आवाज की भांति, गूंज कर ही रह जाती है।

यहां तक कि इन अनुचित करों और 'तीन कठिया लगान' की नाजायज नीति के विरुद्ध वहां की प्रजा ने बहुत कुछ आंदोलन किया है। सन् 1907-1908 में 'चम्पारण नील विभ्राट भी हुआ था, जिसमें वहां की 6-7 सौ बेचारी प्रजा ताजिराते-हिन्द की 405, 506 आदि धाराओं के फेर में पड़ कर 15 दिन से लेकर 5 वर्षों तक जेल में सड़ी थी। पर अभी तक प्रजा के भाग का निपटारा नहीं हुआ है। चम्पारण की प्रजा ने जिले के कलेक्टर, तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर, प्रांतीय गवर्नमेंट और वायसराय तक मेमोरियल प्रार्थना पत्रों द्वारा अपनी पुकार मचायी।'' आनरेबुल बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, एम. ए. बी. एल. ने बिहार प्रांतीय व्यवस्थापक कौंसिल में इस विषय के बहुत से प्रश्न किये और प्रस्ताव भी सामने रखा मगर, प्रजाओं के भाग्य का फैसला ठहराव है, चम्पारण जिले के बन्दोबस्त विभाग की रिपोर्ट पर।

मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होने वाले 'सतयुग' पत्र के संपादक श्रीयुत पाण्डेय जगन्नाथ प्रसाद, एम. ए. बी. एल. चम्पारण के सुयोग्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अपने 'सतयुग' द्वारा बिहार सरकार को कही हुई बातों को फिर से याद दिलाया है और बन्दोबस्त विभाग के ऑफिसर मिस्टर स्वीनी के भविष्य रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि जिस प्रांत में मि. मजहरूल हक, सैयद अली इमाम, सैयद हसन इमाम, मिस्टर दास ऐसे प्रभावशाली नेता रहते हैं, वहां की प्रजा भी अनेक दुःखों से ग्रसित रहें। बिहार के नेताओं को लज्जा आनी चाहिए कि उनके 18 लाख भाई इस प्रकार के दुःख भोगें, पशुवत जिन्दगी बितायें और आप मौज से सुख-चैन की बंसी बजाते फिरें, उनकी कोई खबर ही न लें। श्रीयुक्त पाण्डे जगन्नाथ प्रसाद जी से हमारी प्रार्थना है कि जयप्रकाश मैदान में आकर देश के सामने चम्पारण की प्रजा का आर्तनाद सुनने की चेष्टा कीजिए। देश अवश्य सहायता करेगा। मगर जरा यह भी ध्यान रहे कि 'जो अपनी आप सहायता करता है, उसकी सहायता परमात्मा भी करता है।'

दुःखी, 13 मार्च, 1916

चम्पारण की दुर्दशा : ''चम्पारण में निलहे गोरों की भरमार है, यों समझिये कि प्रजा के भाग्य विधाता वे ही हैं। उनलोगों ने 'सरहबेसी' नाम का एक कर प्रजा पर लगाया है, अर्थात ठहराये हुए कर्ज से प्रायः दूना कर लेने की प्रथा जारी की। यदि कोई न दे तो, उसकी शामत आ जाये यानी, कोठी के लठधर सिपाही बेचारे गरीबों का खूब ही सत्कार करते हैं, और उनकी मां-बहनों को बेइज्जत कर वसूलते हैं। मैं होली के 1-2 दिन पहले ही घटना का उल्लेख करता हूं। जिला चम्पारण में केसरिया थाने के अंतर्गत पट्टीजसौली नामक ग्राम है। यह ग्राम लगिरहा कोठी के अधीन है। कोठी के मैनेजर न्यायमूर्ति मि. कै. साहब हैं। अपने ग्राम वालों से सरहबेसी मांगी, उन्होंने इन्कार किया, फिर क्या था केसरिया के सब रजिस्ट्रार कोठी पर बुलाये गये। बेचारे गांव वाले सिपाहियों

द्वारा पकड़ कर लाये गये और 'सरहबेसी' के निर्मित रजिस्ट्री करने पर बाधित किये गये परंतु धारानुसार वह रजिस्ट्री टूट गयी। इस पर साहब बहादुर बहुत नाराज हुए। इधर होली के 1-2 दिन पहले उपरोक्त ग्राम में अचानक पुलिस आ जमी। लोग भौंचक से हो रहे। कानाफूसी करने लगे, मामला क्या है? पीछे विदित हुआ कि एक युवती की लाश घास-पात से ढंकी पड़ी मिली है। थोड़ी देर बाद मिस्टर कैम पुलिस के बड़े साहब के साथ आ पहुंचे, तब तक पुलिस गरीबों का शिष्टाचार भली-भांति करती रही। मिस्टर कैम ने उस लाश को उस ग्राम के एक राजपूत की बहन की लाश बतायी। पुलिस के बड़े साहब की आज्ञा के बेचारा वह राजपूत, जिसकी बहन की लाश बतायी गयी थी, बुलाया गया पर उसने कहा कि यह मेरी बहन की लाश नहीं, मैं इसे पहचानता तक नहीं। लोगों के कहने से भी यह मालूम हुआ कि यह लाश ग्राम की नहीं है। तो भी संदेह में 15 लोग गिरफ्तार किये गये। पुलिस गिरफ्तार किये हुए लोगों को थाने की ओर ले चली। पर पीछे, वह किसी प्रकार छोड़ दिये गये।

लाश के मुकदमे के दूसरे दिन मिस्टर कैम ने अपने मुलाजिमों को कर वसूलने ग्राम में भेजा। वह समझते थे कि अब ग्रामवासी उस लाश के मुकदमे के डर के कारण वह सरहबेशी दे देंगे। पर लोगों ने देने से इनकार किया। मुलाजिम कोठी पर वापस आये। और सब बातें साहब से कह सुनायी। दूसरे दिन मिस्टर कैम अपने कुछ लठधर मुलाजिमों के साथ पधारे और रुपये मांगते वक्त सख्त बर्ताव किया। बेचारे निसहाय ग्रामवासियों पर अत्यन्त अत्याचार और उनकी मां-बहनों की बेइज्जती हुई। ग्राम वालों की जो-जो दुर्दशा हुई वे अकथनीय है। पर ग्रामवासी राजपूत इस घोर असहनीय अत्याचार को कैसे सह सकते थे? उन्होंने साहब बहादुर से ऐसा न करने के लिए बहुत कुछ निवेदन किया। परंतु कोई सुनवायी न हुई। अब गांव वालों ने दूसरा कोई उपाय ना पा इकट्ठे हो साहब बहादुर के सिपाहियों को रोकने के लिए दौड़े तब तो साहब बहुत बिगड़े। परंतु गांव वालों की संख्या अधिक होने के कारण कोठी वाले नौ-दो ग्यारह हुए। इस पर मिस्टर कैम ने मोतीहारी को तार दिया। उस दिन शाम को पुलिस के बड़े साहब के साथ गारद कोठी पर पहुंच गये। परंतु संध्या होने के कारण ग्राम में न जा सकी और कोठी पर डेरा पड़ा। भोर में सब घटनास्थल पर पहुंचे। गांव वालों का इजहार पुलिस के बड़े साहब लेने लगे। श्रीयुत लोम राज सिंह, जो उस ग्राम के प्रधान नेता हैं। कोठी के कहने से पुलिस ने सब दोष उक्त सज्जन पर आरोपित किया। ग्राम में और लोगों के घर की तलाशी तो ली गयी परंतु इन महाशय के घर की तलाशी विशेष रूप से की गयी। कोठी (साहब) ने कहा कि उक्त बाबू साहब के अमुक पुत्र ने उनको मारा है। पर उस घटना के दिन वे (बाबू साहब के अमुक पुत्र) मोतीहारी में युद्ध ऋण संबंधी सभा में उपस्थित थे। खैर तो भी पुलिस ने कहा कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे घर में छिपा है। उस घर की बेचारी लज्जावति स्त्रियां अपने जेवरों के लुट जाने के डर से पुलिस के घर में घुसने के पहले, उसे लेकर गली की राह से निकल चली। बेचारी स्त्रियां उस समय कैसी दुखित हुई होंगी। परंतु गली के दरवाजे पर भी पुलिस के सिपाही डटे थे, जिन्होंने उन बेचारियों का बहुत अपमान किया। इसी प्रकार और कई सज्जनों के घरों की हालत हुई। पुलिस के अनुमानतः 20 सिपाही अब भी वहीं (गांव में) हैं। ग्राम वालों ने लाट साहब के पास दो बार तार दिये। परंतु उसका कुछ फल न हुआ। शायद तार टूट गया होगा। पुलिस इस तरह का अत्याचार अब तक कर रही है। वह उन्हीं लोगों से रसद ले अपनी तोंदे भर रहा है। उनके अभी तक ठहरने के कारण प्रजा बहुत दुःखी है। मैं अपनी न्यायपरायणता प्रांतिक सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि वह अनुग्रह पूर्वक हमलोगों की दुःखों को सुनें और यथोचित प्रबंध करें।

दुःखी हृदय, 'प्रताप', 16 अप्रैल, 1917

बिहारी हाकिम की हुकूमत : "इस समाचार से कि कर्मवीर गांधी को चम्पारण जिले से, तुरंत निकल जाने की आज्ञा हुई है, देश भर में सनसनी फैल गयी थी। डर था कि कहीं बात बढ़ न जाये और देशभर में गिलानी और रोज की लहर न उठ पड़े। परंतु आज अत्यंत संतोष के साथ यह देखते हैं कि आये हुए बादल टल गये और अब किसी तूफान की आशंका नहीं है। बिहार सरकार ने इस अवसर पर बड़ी बुद्धिमता से काम किया है, इस दूरदर्शिता के लिए हम उनके साथ बिहार के लेफ्टीनेंट सर एडवर्ड गैट को बधाई देते हैं। परंतु बिहार सरकार की समझदारी से बिहार के हाकिम विशेष रूप से और देशभर के हाकिम साधार रूप से स्वेच्छाचार के दोष से मुक्त नहीं हो सकते। गांधी जी कोई गुमनाम आदमी नहीं हैं। इनकी साधिता और उदारता भी कोई बदनाम चीज नहीं। उनके कट्टर से कट्टर विरोधी तक को उनके हृदय के महत्त के सामने सर झुकाना पड़ा है। फिर ऐसे आदमी पर ऐसी आज्ञा निकालना जैसे कि सूबे के कमिश्नर मिस्टर मोरशील ने चम्पारण के मजिस्ट्रेट से निकलवायी, कहां तक उचित है। हां, ठीक है, मोरशीद साहब को डर था, जैसा कि उन्होंने चम्पारण के मजिस्ट्रेट को लिखा था कि गांधी का मतलब आंदोलन करने का है और इससे चम्पारण जिले की शांति भंग होगी। मोरशीड साहब की शांतिप्रियता प्रशंसनीय है, परंतु हम पूछते हैं कि उस जिले में जिसके अनेक आदमी कुछ स्वार्थी आदमियों के लिए गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अनेक अत्याचारों के शिकार

हो रहे हैं, परंतु क्या सचमुच कुछ शांति है। माना साहब, की वहां शांति का अटल राज्य है, तो क्या वह गांधी के शांति के अटल उपासक के पहुंचने से भंग हो जाती? शांति क्या हुई, शांति क्या हुई, छुमुई का पौधा हुआ कि छूने से सिमट जाये या कोहड़े की बतिया हुई कि उंगली दिखाने से कुम्हला जाये। गांधीजी सैर करने चम्पारण नहीं गये थे। वे वहां उत्पात मचाने के लिए भी नहीं गये थे। परंतु उस क्रूर अत्याचार के विषय में शांति के साथ कुछ समझने और बूझने गये थे, जिसके नीचे चम्पारण के लाखों आदमी पिसे जा रहे हैं, जो आज का नहीं वर्षों पुराना है, जिसके अस्तित्व को मोरशीड साहब तक बड़ी मृदुता से निलहों और रैय्यत के संबंध के नाम से पुकारते हैं, जिसके ऊपर आपके कथनानुसार बिहार के हाकिम 1860 के पश्चात् से आज तक विचार कर रहे हैं परंतु जो उनके लिए ऐसा गोरखधंधा हो रहा है कि किसी तरह हल होता ही नहीं, जिसके मिटाने के लिए चम्पारण की प्रजा ने बहुत चीख-पुकार मचायी, जिसके कारण 1908 में उत्पात तक हो गया। इस विषय में प्रत्यक्ष रूप से बिहार सरकार बिल्कुल लापरवाही से ही नहीं, किन्तु पक्षपात से काम लेती रही। क्योंकि इस विषय में गौरले लाट साहब की तहकीकात का फल आज तक किसी बाहरी आदमी को देखने को नहीं मिला, और तब हाकिम ने काम करने वालों को दबा-दबा दिया। इतने पर भी गांधीजी ने अपने आप चम्पारण नहीं पहुंचे थे। जब से वे देश में आये हैं तब से हर ओर से निराश हो चुकने वाली चम्पारण की प्रजा उन्हीं की ओर टकटकी लगाये हुए है, और अनेक बार अपने दुःखों को देखने के लिए निमंत्रण दे चुकी थी। इस पर भी गांधीजी चम्पारण के विषय में पहले ही से कुछ विचार स्थिर करके नहीं चले थे। दोनों पक्षों के विचार जानना उन्होंने उचित समझा था। इसीलिए वे कमिश्नर मि. मोरशीड और निलहों की सभा के मंत्री से जाते ही मिले थे। परंतु इन दोनों लाल-बुझक्कड़ों ने, इसके बजाय कि इस शुभ काम में गांधीजी को कुछ भी मदद देते, बड़ी गंभीरता से सिर हिलाते हुए उन्हें यह शुभ सलाह दी कि आप इस काम में न पड़िये, सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। चम्पारण वालों के परम सौभाग्य से गांधीजी उन देशी नेताओं में से नहीं हैं, जो हवा के रुख के अनुसार अपनी गति और मति बदलने में क्षण-क्षण पर रंग बदलने वाले गिरगिटान को भी मात करते हैं। उनके निश्चय में अंतर नहीं पड़ा। मोरशीड साहब के कोप के लिए यह बात काफी थी। सिविल सर्विस वाले हामिकों के मिजाजों में प्रजा की इस आजादी को देखने का ताव कहां? बस चम्पारण के मजिस्ट्रेट मि. ईकाक को कानून फौजदारी का 144वां अस्त्र गांधीजी पर चलाने का फरमान जारी कर दिया गया। स्वेच्छाचार मनुष्य को अंधा बना देता है। उसे न्याय और अन्याय का ख्याल ही नहीं रहता। गांधीजी तो मोरशेड साहब की प्रजा के कष्ट दूर करने का यत्न करें और मोरशीड साहब अपने आप से इतने बाहर हो जायें कि लगे उनके खिलाफ हुक्मनाम जारी करने। जो कसर बाकी रही थी, वह मिस्टर हिकॉक ने पूरी कर दी। 144वीं धारा के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी को किसी कार्य के करने से रोक सकता है। परन्तु उसे जिले से नहीं निकाल सकता। मिस्टर हेकाक ने गांधीजी को चम्पारण से बाहर निकल जाने की आज्ञा दे डाली। गांधीजी ने इस आज्ञा को नहीं माना। प्रांतिक सरकार का रंग-ढंग देखने के लिए उन्होंने अदालत में जो बयान दिया और जिसका सार अन्यत्र दिया हुआ है वह अत्यन्त गंभीर और साहब से पूर्ण है। उस पर मिस्टर हेकॉक गांधीजी को जेल भेज सकते थे, परंतु उन्होंने न्याय से तो नहीं परंतु बुद्धिमत्ता से अवश्य काम किया। उन्होंने फैसला शनिवार तक रोक लिया। शुक्रवार को ही बिहार सरकार ने गांधीजी पर निकले नोटिस को वापस ले लिया।

गांधीजी अपने काम में लग गये। अपनी बात बिगड़ते देखकर मिस्टर मोरशीड को अवश्य दुःख हुआ होगा। परंतु उन्हें खुश होना चाहिए कि चम्पारण जिले में गांधीजी के रह जाने से अभी तक वहां न खून खराबा हुआ है और न किसी प्रकार की अशांति। बिहार सरकार के इस काम की सब तरफ तारीफ है। हम उसकी बुद्धिमत्ता को सराहते हैं, परंतु हमारे सामने कोई भी ऐसा कारण नहीं है, जिससे हम उसके न्याय की तारीफ करें। चम्पारण के मामले में अभी तक वह न्याय की अपेक्षा गोरी जमींदारों के लाभ का अधिक ख्याल रखती आयी है। साथ ही इस मामले में यदि गांधीजी न पड़े होते, कोई उनसे छोटा, कम प्रसिद्धि का या कम दृढ़ता का आदमी पड़ा होता तो हमें इस बात के कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि उसका काम चाहे कितना निर्दोष और न्याययुक्त क्यों न होता, परंतु वह बिहार के पवित्र भूमि से उसी प्रकार निकाल दिया जाता, जिस प्रकार से दूध से मक्खी। 'प्रताप' कार्यालय से एक छोटा-सा पर्चा 'चम्पारण की प्रजा पर अत्याचार' शीर्षक से निकला था। उसमें कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं थी। लेखक ने चम्पारण की प्रजा से प्रार्थना की थी कि अपनी शिकायतों को बाकायदा सरकार के सामने रखने के लिए सबूत इकट्ठे किये जा रहे हैं जिसके पास जो प्रमाणिक कागज पत्र हों, यह उन्हें प्रेषक के पास भेज दें। बस इतनी सी बात पर बिहार के हाकिमों के सामने चम्पारण की जमीन उल्टी पड़ती नजर आने लगी। उस समय के स्वेच्छाचारी लेफ्टीनेंट गवर्नर सर चार्ल्स बेली ने उस निर्दोष पर्चे को जब्त कर लिया। बिहार सरकार की अंधी नकल का काम इस प्रांत की सरकार ने भी किया। इतना ही नहीं, चम्पारण के हामिकों ने कितने

ही चम्पारणी सज्जनों को इस सड़ी सी बात पर बहुत तंग किया था और स्कूल के कुछ अध्यापकों को बर्खास्त तक कर दिया था। एक तो बिहार वैसे ही मुर्दा प्रांत है, दूसरे बिहार सरकार की इस सख्ती का यह नतीजा हुआ कि बिहार के बड़े-से-बड़े आदमी तक इतने डर गये कि अपनी आंखों के सामने अपने लाखों भाईयों की यह दुर्गति देखते हुए भी उंगली उठाने की हिम्मत न करते थे। क्या प्रजा की यह अवस्था शासकों के लिए गौरव की बात है? यह व्यक्तिगत स्वाधीनता की हत्या, न्याय और कानून के नाम को कलंकित नहीं करती? सर एडवर्ड गैट विचारशील और उदार शासक समझे जाते हैं। उन्हीं के कारण मि. मोरशीड की नादिरशाही को नीचा देखना पड़ा है और अब हाकिम लोग गांधीजी को तहकीकात के काम में मदद दे रहे हैं। उन्हीं के अच्छे व्यवहार के कारण बिहार नेताओं को गांधीजी का पूरा साथ देने का साहस पड़ा है, और हमें आशा है कि जब गांधीजी की तहकीकात पूरी हो चुकेगी, तब श्रीमान् सर एडवर्ड गैर चम्पारण की प्रजा को गोरे जमींदारों के अत्याचार से सदा के लिए बचाने में एक बड़े भारी कारण होंगे।

चम्परण में 'तीनकठिया प्रथा' : वे दिन गये जब लोग नेपाल की तराई आबाद में प्रांत के चम्पारण जिले से बहुत कम वाकिफ थे। समय ने अब पलटा खाया है। जो लोग चम्पारण जिले के कृषकों पर होने वाले अत्याचारों को अब तक जानते तक न थे अथवा जान सुनकर भी कोई उपाय नहीं होने कारण, चुपचाप खून के आंसू बहाकर अपने हृदय को संतोष दे लेते थे, वे महात्मा गांधीजी की आजकल की जांच की ओर सतृष्ण नेत्रों से टकटकी लगाये देख रहे हैं। यद्यपि महात्मा गांधीजी की इस जांच का क्या परिणाम होगा, ये क्या जांच कर रहे हैं और जांच करके सरकार को क्या परामर्श देंगे, अभी किसी को पता नहीं; तथापित इसमें शक नहीं कि इन 18 लाख बदनसीबों का भाग्य अब उदय होने वाला है। जिन पाठकों ने 'प्रताप' को शुरू से पढ़ा है, उन्हें चम्पारण, बेतिया, मोतिहारी आदि स्थानों की दशा अच्छी तरह मालूम है। अतएव, उसे फिर से यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं मालूम होती। हां, यहां पर बतला देना असंगत न होगा कि इस जिले की दो जमींदारियों में सबसे अधिक और प्रभावशाली जमींदारी महाराज बेतिया की है। पर, महाराज के कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण, वह आजकल कोर्ट ऑफ वार्ड्स के सुपुर्द है। इसी बेतिया राज्य में पहले पहल सन् 1888 ई. में पीपरा नामक गांव में एक नील की कोठी स्थापित हुई थी। पर, आज सन् 1917 में, कोई 29 वर्ष के भीतर ही भीतर, 1070 नील की कोठियां देखने में आ रही हैं जब तक नील का कारोबार जोरों पर था, तब तक इन कोठियों के मालिक अपने लिए नील की काश्त कराते थे। बाद में उन गांवों का ठीका लेकर उन्होंने खेतों को काश्तकारों को जोतने-बोने के लिए दे दिया। ये ही 'गोरे ठीकेदार' आजकल राज्य के गांवों के मालिक तथा 18 लाख जनता के प्रभु हैं। जिस प्रकार और जिस ढंग का कर जब इन्होंने चाहा, बेचारे किसानों पर बैठा दिया। लोग झक मार इन करों को दें, नहीं तो अपना बोरिया-बस्ता बांधकर नेपाल की राह पकड़ें और जो कहीं किसी ने चूं-चपड़ की तो, मर-खप के पैदा करते रहने पर भी, उसे जेल की हवा खानी पड़े। संसार में अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे कामों की भी हद होती है। मगर इन निलहे गोरों के बैठाये हुए करों की कोई हद नहीं।

'घोड़आही' इत्यादि न जाने कितने प्रकार के कर इन लोगों ने बैठा रखे हैं और आये दिन उन्हें जब जिस चीज की जरूरत हुई, एक न एक कर बैठा दिया। किसान बेचारे की औकात ही कितनी जब वह साधारण से साधारण और टुटपंजिये जमींदारों का मुकाबला स्वप्न में नहीं कर सकता, तब इन गोरे 'सरकारो' का मुकाबला करना, उनके विरुद्ध सिर उठाना, सरासर अपना सिर कुचलवा देना है। वे इन करों को अब तक रो-झक कर बराबर देते आ रहे हैं और, यदि शीघ्र कुछ निपटारा न हुआ तो, न जाने अभी कब तक इसे बराबर देते रहेंगे। अमहरही, कटहरी इत्यादि कर आम, कटहर (कटहल) आदि की फसल पर लिया जाता है। कोई बात नहीं, मगर यह जो 'तीनकठिया' कर वसूल किया जाता है, यह कौन सी बला है और किस फसल के लिए है? इसका भी किस्सा सुनिये। ये निलहे गोरे गांवों के ठीकेदार तो हैं ही, फिर जिन्हें खेत बोना जोतना होगा वे इनके पास जायेंगे, दौड़ेंगे, सिफारिश पहुंचायेंगे, नजराने देंगे, तब जाकर कहीं इन्हें कुछ जमीन 'खोदने' के लिए मिल जायेगी। मगर उसके साथ एक शर्त लगी होगी कि वह यह कि तुम खेत जोतो, बोओ, काटो और दांओ, हमारा भाग कर्जदार के रूप में, हमारे हाथ पर रखो, हर तरह की वसूलयाबी अदा करो और एक बीघा में तीन कट्ठा जमीन अपनी मेहनत, मशक्कत, हल बैल से जोत-बोकर हमारे कोठी पर पहुंचाओ। हां, इस तीन कट्ठे के लिए हम बीज अथवा बीज का दाम तुम्हें दे देंगे। किसान क्या करें? पेट तो किसी तरह पालना ही ठहरा, मंजूर कर लिया। न मजूर करे तो मंजूर करना ही पड़ेगा, जायेंगे कहां? अच्छा, खेत को जोता-बोआ, मगर जब कट-पिट कर अनाज तथा नील तैयार हो गयी तब किसान को छठी का दूध याद आ गया। वह हाय खाकर दिल मसोस कर रह गया। हिसाब लगाकर उसने देखा तो सारी कमाई साहब को न्यौछावर हो गयी। अब मुंह बांधकर दूसरी फसल की तैयारी का जुगाड़ लगाने लगा। इस प्रकार लसटम-पसटम,

कर्ज ले दिवा कर, कुछ दिन चलाया अंत में वह तबाह हो गया। पाठकों को प्रमाण के रूप में हम यहां थोड़े से अंक दिये देते हैं। वे देखें कि 'तीनकठिया' नाम का नाजायज कर किस कड़ाई और बर्बरता से वसूल किया जाता है। मान लें एक गांव के एक किसान ने साढ़े छः बीघा जमीन जोतने बोने के लिए ली। तीनकठिया कर के अनुसार साढ़े पांच बीघा जमीन तो काश्तकार की हो गयी, शेष एक बीघा जमीन 'गोरे साहब' की। एक बीघा अथवा साढ़े पांच बीघा जमीन से हमारा मुराद है, उसमें पैदा होने वाली पैदावार से। अस्तु, साढ़े पांच बीघे की पैदावार के लिए सब किस्म की तवालत किसान को ही उठानी पड़ेगी। वह उसे जोतेगा, बोयेगा, और जो कुछ पैदावार होगी, उससे अपनी गृहस्थी चलायेगा। यहां तक तो कोई बात नहीं। मगर जो साढ़े छह बीघे जमीन उसे मिली है, उसमें से एक बीघा दार जमीन जिसमें सबसे अच्छी उपज होती है, गोरे ठीकेदार साहब के हक की है, इसके लिए जो उसे मेहनत करनी पड़ेगी वह घलुआ बीज का दाम मिल जाता जरूर है, लेकिन वह भी 'इस हाथ दे उस हाथ ले' की कहावत के अनुसार एक तरह से कहना चाहिए कि मिलता ही नहीं। नतीजा यह निकला कि इस प्रकार साढ़े छह बीघा में एक बीघा जमीन की पैदावार अलामी मालिक को माफी दे रहा है। कभी-कभी जो तनिक अकड़बाज हुए, उन्हें भाग्यवश इस तीन कट्ठे जमीन के लिए (2,211) अथवा तीन तक मिल जाते हैं, पर सबको शायद ही नसीब होता है। कितनी जबर्दस्त बेगार, कितनी जोर और जुल्म है, पाठके इसे विचार करें। मालगुजारी तो ले साढ़े छह बीघे की और दें साढ़े पांच बीघे। खेत की गुड़ाई, तराई, सिंचाई, कटाई, ढुलाई सब किसान के मत्थे। इस तरह हमने एक कोठी के नील की पैदावार का तखमीना देखा तो मालूम हुआ कि एक फसल नील के बोने और काटने में खेत में 76 बार आदमी तथा हल लगाने के लिए '52' खर्चा बैठता है। 71 मिनहा अथवा छूट के निकल गये, बाकी बचे तावान '4411' केवल यही नहीं कि किसानों को इस प्रकार के ये रुपये देने में खल जाते हैं किन्तु उन्हें अपने 'निलहे सरकार की पैदावार ढंग पर लाने के लिए जोता और बीज बोआ हुआ, खेत छोड़कर सरकार के खेत में हल चलाने के लिए जाना पड़ता है।' उधर साहब बहादुर की बन आयी, दोनों हाथों लड्डू मिलें। इधर किसान के खेत के बीच सूख जाने अथवा बीज न ढांपने के कारण मर मिटा। एक दाना भी नसीब न हुआ। और फिर यह बात समझ में नहीं आती कि जब किसान पूरे साढ़े छह बीघे की मालगुजारी अदा करता है तब उस एक बीघा अपनाने वाले ये निलहे, गोरे कौन होते हैं? यही नहीं; बल्कि उस एक बीघा जमीन के लिए कृषक को साहब बहादुर अपनी कोठी पर बुला एक सट्टा या प्रतिज्ञा पत्र लिखवाते हैं, जिसका अभिप्राय यह होता है कि 'मैं अपनी खुशी से साहब बहादुर के लिए बीघे तीन कट्ठे जमीन में नील की बोआई करूंगा।' यह सट्टा जबर्दस्ती लिखवाया जाता है। बहुत से किसान लिखते भी नहीं हैं, मगर साहब बहादुर की धाक यहां पर इतनी जमी हुई होती है कि उनको बाध्य होकर ऐसा करना ही पड़ता है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए 'चम्पारण गजेटियर' का लेखक 'तीनकठिया प्रथा' को, एकदम उठा देने की सम्मति देता और अपने लेख में बतलाता है कि इस प्रथा से चम्पारण की मूक प्रजाओं को प्रायः बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी है और यह इसी प्रथा का फल है कि चम्पारण में दो-तीन बार छोटे-छोटे बलवे और 1908 में एक बहुत बड़ा बलवा 'चम्पारण विभ्राट' के नाम से हो गया, जिसमें 16-17 सौ बेचारी गरीब प्रजा को जेल की हवा खानी पड़ी। सेटलमेंट डिपार्टमेंट की आफीसर मि. स्वीनी का भी यह कहना है कि 'तीनकठिया' की प्रथा ने इस जिले की प्रजा को बिल्कुल चौपट कर दिया है। इस प्रथा ने अत्यन्त दूषित, बेगारी और जुल्म का रूप रखते हुए इस प्रकार जोर क्यों पकड़ा, वह भी सुन लीजिए। मि. गिविन बेतिया राज के बहुत बड़े हितैषी मैनेजर थे। उन्होंने कोठियों के विकास में निलहे गोरों की बहुत बड़ी सहायता की और यह उन्हीं की हितैषिता का फल है कि आज चम्पारण की प्रजा नरक के समान दुःख भोग रही है और रो-रो कर यह कह रही है कि :

चैन कब मिलता है मुझको दौर चरखे पीर में।
गर्दिशें परकार लिखी है, मेरी तकदीर में।।

जब मि. गिविन के पेंशन लेने का समय निकट आया, तब लोगों ने मैनेजरी की गद्दी पर बैठने के लिए अंग्रेजों को चुनना शुरू किया, पर किसी की भी न चली और मि. गिविन की राय से कुडिया कोठी के मैनेजर मि. जे. आर. लौविस राज के मैनेजर बनाये गये। चम्पारण की प्रजा कर ही क्या सकती थी? उसने केवल इतना ही कहना काफी समझा कि :

इब्ने मरियम बने कोई।
मेरे दर्द दिल की दवा करे कोई।।

मि. लैविस तो निलहे गोरे थे ही, वे अपने तथा भाई-बहनों के स्वार्थ पर कब धक्का पहुंचाना गवारा कर सकते थे। फिर क्या? उनके समय में कोठियों की बन आयी। बहुत सी कोठियों में इन्होंने कुछ-कुछ भाग भी ले लिया और यही कारण था कि 1908 के 'चम्पारण नील विभ्राट' में मि. लौविस की कोशिशों ने बहुत बड़ा काम किया। गोरे निलहों की तूती जैसे पहले बोलती थी पीछे उससे भी अधिक बोलने लगी। अतः अच्छा हो, यदि महात्मा गांधी इस कर की कुप्रथा को अधिकारियों के सामने स्पष्ट रूप में रखें। बिना इस जुल्म की नींव हिलाये चम्पारण की प्रजा का कुछ उपकार नहीं हो सकता। *'प्रताप', 21 मई, 1917* ❑

चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी विमर्श

गांधी के अंतिम जन की परिकल्पना चम्पारण की देन

❑ सच्चिदानन्द सिन्हा

महात्मा गांधी का चम्पारण आना उनके राजनीतिक जीवन का एक संधि बिन्दु है। चम्पारण आने से पहले वे दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत बड़े राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व कर चुके थे और उसके काफी नतीजे भी निकल चुके थे। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका से वे आये तो किन राजनीतिक परम्पराओं को लेकर आये और किस पृष्ठभूमि में उनको आंकना चाहिए, जब उन्होंने भारत में राजनीतिक आंदोलन शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी वकालत करने गये थे, लेकिन रंगभेद और नस्लभेद की समस्या वहां इतनी जबर्दस्त ढंग से उभरी थी कि गांधी वहां आंदोलन में उलझ गये, लेकिन इस क्रम में कुछ ऐसे अनुभव भी हुए, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। गांधी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उस समय उनके एक मित्र पोलक ने उनको एक पुस्तक दी थी। पुलस्ति की लिखी वह किताब थी। गांधीजी ने अपने जीवनी में उसका वर्णन करते हुए लिखा है कि 24 घंटे की वह यात्रा थी, जिसमें उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा था। उन्होंने लिखा कि मेरे जीवन की जो सोच थी, सबको उस किताब ने बदलदिया। उसका निचोड़ था कि मजदूर जो काम करता है, उसका जीवन आदर्श जीवन है। प्रतिष्ठा का जीवन है जो उसे मिलना चाहिए। लोगों के बीच जो दूरी और भेदभाव है, वह खत्म होना चाहिए। उन्होंने कुछ और भारतीय लोगों के साथ मिल करके उस समय रंगभेद के खिलाफ लोगों को जागृत करने के लिए एक पत्रिका निकालना शुरू किया था 'इंडियन ओपीनियन'। किताब को पढ़ने के बाद उनको लगा कि जिस शहर से वे पत्रिका निकाल रहे हैं, वहां से निकालने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा कि उस प्रेस को वे लेकर फिनिक्स फार्म हाउस में आ जायें और सब मिल-जुलकर उसे चलायें। उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा और सब बराबर वेतन उठायेंगे उस काम के लिए। इससे एक समतामूलक विचार की नींव पड़ी। बाद में उन्होंने रंगभेद के खिलाफ वहां के भारतीयों का आंदोलन चलाया, जिसमें लगातार इस चीज को बनाये रखा। फिर इससे मिलती-जुलती और भी ज्यादा व्यापक घटना हुई जब ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ तीन पौंड का टैक्स लगाया गया। उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में खान के मजदूर और अन्य लोग शामिल हुए। जब सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हुआ तो एक और समस्या गांधीजी और उनके सहयोगियों के सामने आयी कि सैकड़ों लोग जो जेल में गये, उनके परिवार का क्या होगा। उस समय उनके एक जर्मन दोस्त ने 2100 एकड़ का एक फार्म खरीद कर उन्हें दे दिया। उन्होंने तय किया कि सभी सत्याग्रहियों के परिवार उसमें आकर रहेंगे और सामुदायिक जीवन पाने की एक पहल शुरू की। सारे के सारे लोग वहां गये, वहां फल के बहुत सारे पेड़ थे और खेती की जमीन थी। सभी लोगों ने सहयोगी रूप से काम शुरू किया। सारे लोग मजदूरी करते थे। वहां घर बनाने में मिस्त्री का भी कुछ सहयोग लिया गया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा काम लोगों ने खुद किया। सबसे दिलचस्प बात जो हिन्दुस्तान में हुई रहती तो एक बड़ीसमस्या बनती, वो यह थी कि सत्याग्रहियों में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग थे, जिनका सहजीवन शुरू हुआ था, उनमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और फारसी थे। सवाल हुआ कि वहां जो खाना बनेगा, वह किस तरह का होगा। लोगों ने तय किया कि उनका एक ही रसोई होगा। हमारे यहां साम्प्रदायिकता की तरह-तरह की समस्याएं आये दिन उठती रहती है, लेकिन हम उनका समाधान नहीं कर पा रहे हैं जबकि गांधीजी ने उतने दूर साउथ अफ्रीका में भी इसका समाधान ढूंढ लिया था। गांधीजी तैयार थे कि अलग-अलग धर्म के लोग यदि अपना रसोई अलग-अलग रखना चाहें तो हमको ऐतराज नहीं होगा।

आजकल स्वच्छता अभियान हमारे यहां बहुत जोर शोर से चल रहा है। इसका भी समाधान गांधीजी ने लिखा था। वहां जो लोग

'स्वार्थ' और 'हित' का अंतर

जब एक वर्ग का हित समाज-हित बन जाता है, तभी उस वर्ग की क्रांति समाज क्रांति होती है। यह सिद्धांत कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र में मार्क्स ऐंजिल्स ने लिखा। क्रांतिकारी वर्ग वह है, जिसका स्वार्थ समाज-व्यापी बन जाता है। स्वार्थ और हित में अंतर है। आपका स्वार्थ मेरा हित है। इससे अगला कदम है—आपका हित और मेरा हित, दोनों का हित, यह *'परमार्थ'* कहलाता है। परार्थ मेरे लिए हित है, आपके लिए स्वार्थ है। आरंभ यहां से होता है कि मैं आपका सुख देखूं, अपना हित देखूं। लोकतंत्र की आज की प्रक्रिया यह है कि आप अपना अधिकार देखें। मैं अपना अधिकार देखूं। आप अपना कर्तव्य देखें, मैं अपना कर्तव्य देखूं। आज का प्रचलित लोकतंत्र यहां तक पहुंचा है। पर, सर्वोदय का लोकतंत्र यह होगा कि मैं आपका अधिकार देखूंगा, अपना कर्तव्य देखूंगा। उसी तरह से अब हम यह विचार कर रहे हैं कि आपका स्वार्थ मेरा हित है। आगे चलकर आप भी देखने लगेंगे कि मेरा स्वार्थ आपका हित है। आप मेरे सुख में अपना हित देखेंगे, मैं आपके सुख में अपना हित देखूंगा। दोनों जब एक-दूसरे का सुख देखेंगे, तो दोनों हित का विचार करेंगे। *स्वार्थों में टक्कर होती है, हितों में टक्कर कभी नहीं होती।* दोनों का हित हम देखने लगेंगे। इसका विनियोग आज की परिस्थिति में कैसे हो?

–दादा धर्माधिकारी

बैरक के घरों में रहते थे, उनके मल मूत्र की समस्या का निदान उन्होंने ढाई तीन फुट गहरा गड्ढा भर जाता और सुख जाता तब उसका इस्तेमाल कम्पोस्ट के रूप में बागवानी व खेती में होता था। आज स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है लेकिन उसमें इस तरह के पुनर्चक्रण की कोई व्यवस्था नहीं दिखती। पोर्सिलिन के जो कमोड बनाये जा रहे हैं, उसके बारे में कोई सोचता नहीं कि वह नन बायोडिग्रेडेबल है। जैसे प्लास्टिक से छुटकारे का कोई उपाय नहीं है, उसी तरह पोर्सिलीन भी खुद एक कचरा है, जो हजारों वर्ष तक नष्ट नहीं होता। लेकिन गांधीजी ने जो उपाय बताया था, भारत के हर गांव में उसका इस्तेमाल हो सकता है। वह एक उपयोगी खाद भी है, जिसे आज पानी में बहाकर नष्ट कर दिया जाता है या नदी में डालकर उसे प्रदूषित किया जाता है।

चम्पारण में आने के बाद गांधीजी को जो नयी चीज मिली, वह थी अंतिम जन की कल्पना। वास्तव में नीलहों के खिलाफ लड़ाई वह बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी। कमिटी बनी, इन्क्वायरी हुआ और धीरे-धीरे नील की खेती खुद खत्म होने लगी। इसका कारण था कि नील का एक केमिकल सब्स्टीच्यूट निकल गया। आंदोलन के बाद नील काफी मंहगा पड़ने लगा और विश्व के बाजार से खत्म हो गया, लेकिन गांधीजी को वहां अंतिम जन से मुलाकात हो गयी। गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वे लोग घूम रहे थे, तो एक महिला बहुत गंदे कपड़ों में दिखी। गांधीजी ने उससे पूछा कि आप कपड़े क्यों नहीं साफ करती हैं। महिला ने कस्तूरबा को अपने घर में जाकर दिखाया कि उसके पास दूसरे कपड़े हैं कि नहीं तो कैसे वह इन्हें बदल बदल कर साफ करे। गांधीजी गये थे चम्पारण नील की समस्या को लेकर लेकिन यहसब देखकर उन्होंने कस्तूरबा को और महाराष्ट्र और गुजरात से अन्य लोगों को लाकर वहां पूरे समाज के परिवर्तन की शुरुआत की। ❑

चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी विमर्श

गांधी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाना जरूरी

गांधीजी के चम्पारण सत्याग्रह का सौ वर्ष पूरा हो रहा है। सौ साल पहले आज ही के दिन यानी 10 अप्रैल, 1917 को गांधीजी पटना पधारे थे, बिहार में आये थे। और आज ही उन्होंने मुजफ्फरपुर के लिए प्रस्थान किया था। मुजफ्फरपुर में कुछ दिन रुके, फिर मोतीहारी गये, उसके बाद बेतिया के लिए प्रस्थान किये। उनकी विभिन्न जगहों का माहौल है, टकराव का माहौल है। भौतिकतावादी चीजें लोगों के दिल व दिमाग पर हावी हैं। ऐसी स्थिति में गांधीजी के विचारों से प्रभावित लोग एक जगह एकत्रित होकर गांधीजी के विचारों पर आज के संदर्भ में सार्थक बहस करें, तो इसका जो नतीजा निकलेगा, वह देश के लिए तो महत्त्वपूर्ण होगा ही, समाज के लिए भी महत्त्वपूर्ण होगा।

पर यात्राएं हुईं और जो कुछ भी चम्पारण सत्याग्रह के सिलसिले में हुआ, आप सभी अवगत हैं। चम्पारण सत्याग्रह ने जो रूप धारण किया, उसका प्रभाव सिर्फ वहां के किसानों को, मजदूरों को नीलहों से आजादी मिलने तक ही नहीं है, उसका संदेश पूरे देश में फैला। जो आजादी की लड़ाई वर्षों से चल रही थी देश में, उसने एक जबरदस्त रूप धारण किया। और मात्र 30 साल के अंदर देश आजाद हो गया। चम्पारण सत्याग्रह का यह सौंवा साल है। आज देश और पूरी दुनिया में एक विचित्र महौल है। असहिष्णुता इसी भरोसे के साथ हमलोगों ने इसका आयोजन किया है।

गांधीजी का विचार हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत : हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत गांधीजी का विचार ही रहा है। इसलिए हमलोगों ने न्याय के साथ विकास के रास्ते को अपनाया है, सिर्फ विकास की बात नहीं की है। मैं सिर्फ विकास की बात नहीं करता हूं, विकास ऐसा होना चाहिए, जिसमें जस्टिस हो, न्याय हो, सबको उसका लाभ मिले, सभी इलाके का विकास हो। ये काम करते हुए हमलोगों को लगा कि कुछ

सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे हमलोगों ने नारी सशक्तीकरण की दिशा में काम किया है। समाज का जो उपेक्षित व वंचित तबका है, उसको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हमलोगों ने अनेक नीतियां बनायीं।

घर-घर पहुंचायेंगे गांधी के विचार : हमलोगों के मन में एक बात है कि हम गांधीजी के विचारों से जन-जन को अवगत करायें। गांधीजी को कौन नहीं जानता? और गांधीजी के प्रति मन में सम्मान भी है। अगर गांधीजी के बारे में कोई अपशब्द कहें तो कोई बरदास्त नहीं कर सकता है। लेकिन गांधी के जो विचार हैं उनको अपनाने की कोई दृष्टि नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, कोई सोच नहीं है। गांधीजी की इज्जत बहुत है, लेकिन उनके विचारों को मानने के लिए न कोई जानना चाहता है और न उसपर अमल करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में हमलोगों ने सोचा कि जन-जन तक पहुंचायेंगे। हम बापू के विचारों की दस्तक देंगे, एक-एक घर में पहुंचायेंगे। इस एक साल में गांधीजी के विचारों और उनके जीवन पर आधारित फिल्म बनाकर उसे एक-एक गांव में दिखायेंगे। छोटे-छोटे बसावटों तक हम ले जायेंगे। सौ की आबादी के बसावट तक ले जायेंगे और दिखायेंगे लोगों को। सारे स्कूलों में जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें गांधीजी से जुड़ी कहानियां सुनायेंगे हर रोज। हर स्कूल में प्रार्थना होती है और प्रार्थना के बाद एक कहानी। उसका चयन किया जा रहा है, ताकि कहानियों के जरिये गांधीजी के व्यक्तित्व को, गांधीजी के विचारों को जान पाये, उनके काम को जान पाये और अगर कम व्यक्ति के मन में अगर यह और दिल में यह बात समा जायेगी तो बहुत बात होगी। पूरे एक साल के अभियान का यही मकसद है कि हमलोग बापू के विचार घर-घर तक पहुंचा दें, हर छात्र-छात्रा को इससे अवगत करा दें। मेरा अपना विश्वास है कि नयी पीढ़ी के 10 प्रतिशत लोग भी बापू के विचारों के प्रति आकृष्ट हो गये, तो मैं समझता हूं कि 15 से 20 सालों में समाज बदल जायेगा। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है।

चारों तरफ कुतर्क गढ़े जा रहे हैं : आप सब लोग मिलकर बात कीजिए, आज हम सब लोग बात करते हैं कि समाज में टकराव है, असहिष्णुता का माहौल है, हिंसा का वातावरण है, कुतर्क गढ़े जा रहे हैं चारों तरफ। अरे, गांधी विचार को मानने वाले आपलोग चर्चा करके बताइये कि देश को किस दिशा में जाना है। गांधीजी के जो विचार थे वह तो जगहाहिर हैं, लेकिन आज के संदर्भ में क्या कार्यक्रम होना चाहिए? क्या एजेंडा होना चाहिए? इस सब चीजों के बारे में अगर एक विचार विमर्श हो जाये तो मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ी बात होगी और आप सब लोगों को इसी मकसद से आमंत्रित किया है और हमलोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि आप सबों ने निमंत्रण स्वीकार किया और यहां पधारे, ये कोई मामूली बात नहीं है।

ज्ञान भवन में सिर्फ ज्ञान की बातें न हो : ये जो नया पूरा का पूरा कैम्पस है, इसका नामकरण हमलोगों ने किया है सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र। और, इसमें विज्ञान भवन की तर्ज पर ज्ञान भवन बना है। आज के राष्ट्रीय विमर्श से ही इस ज्ञान भवन का उद्घाटन होगा। इसमें ज्ञान की बात होनी चाहिए और ज्ञान सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं होती है। उसको कैसे हम व्यवहार रूप में लायें और यही तो गांधीजी ने करके दिखा दिया। उनके विचार थे, जो सोच थी, उसको धरती पर उतार दिया और यही देश को बदल दिया और देश को आजाद कर दिया। उसी तरह आज के संदर्भ में यह सब हो। तरह-तरह की परिस्थिति है और हम सभी को ध्यान देना होगा। विकास की बात होती है, हम भूल जाते हैं पर्यावरण। अब गंगा नदी का हाल देख लीजिए। मैं तो चाहूंगा कि जितने लोगों को रुचि होगी, मैं सब को गंगा नदी में भ्रमण करा दूंगा। देख लीजिए क्या हाल है। गंगा नदी का यह हाल है, तो और नदियों का क्या हाल होगा? इसलिए पर्यावरण पर भी जोर देना चाहिए।

गांधीजी के विचारों पर आधारित एजेंडा बने : चूंकि हम जन-जन तक गांधीजी के विचारों को पहुंचाना चाहते हैं तो आपकी बात विमर्श का जो नतीजा निकलेगा उससे भी लोगों को अवगत करायेंगे। सबसे बड़ी बात होगी कि आप एजेंडा जो सेट कीजियेगा कि देश को किस तरह से आगे ले जाना है। और एक बड़ी विचित्र स्थिति है, कुछ लोग केवल प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। सिर्फ प्रतिक्रिया व्यक्त करने से नहीं होता है। प्रतिक्रिया व्यक्त करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। आपकी क्या सोच है, आपको उसको लोगों के सामने रखना चाहिए और आप लोगों पर छोड़ दीजिए कि वे कौन सा रास्ता पसंद करते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम देश में लोगों के सामने एक कार्यक्रम रखें, एजेंडा का रूप रखें, जो गांधीजी के विचारों पर आधारित हो और आज के समय में वे चीजें प्रासंगिक हो। इसलिए विमर्श का आयोजन किया गया है और मुझे विश्वास है कि इस विमर्श का जो नतीजा निकलेगा वह बहुत ही सार्थक होगा। ❑

(10 अप्रैल, 2017 को आयोजित 'राष्ट्रीय विमर्श' कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा दिये गये उद्बोधन का सार)

'सर्वोदय जगत' के सभी सुहृद पाठकों, शुभचिन्तकों, लेखकों से अनुरोध है कि अपने महत्त्वपूर्ण आलेख, रचनाएं, विचार एवं सुझाव पत्रिका के लिए भेजें। –सं.

रामराज्य में हकदार उम्मीदवार नहीं होता

चम्पारण सत्याग्रह को सिर्फ औपचारिता से मनाने से नहीं होगा, सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति को इसे खुद अपने जीवन में अपनाना चाहिए। रामराज्य की खूबी होती है कि इसमें हकदार उम्मीदवार नहीं होता। आज सारे हकदार उम्मीदवार हैं। गांधी, जेपी और विनोबा भावे ने कौन-सा पद लिया था। जो सत्ता का आकांक्षी नहीं होता, वही परिवर्तन करता है। गांधी को हिन्दुस्तान या भारत पिता नहीं बल्कि राष्ट्रपिता कहते हैं क्योंकि राष्ट्र-निर्माण में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। गांधी को भगवान मत बनाइये, इंसान रहने दीजिए और उस इंसान के साथ जीने का संकल्प लेना चाहिए। **–न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर धर्माधिकारी**

बिहार ने ही हमें असली गांधी दिया

गांधीजी के साथ चम्पारण जो लोग गये थे, उन्होंने गांधी से कहा कि हम तो आपकी मदद के लिए आये हैं। हमें आदेश वापस लौटने का दिया जायेगा तो हम चले जायेंगे। आप आदेश नहीं मानेंगे तो वे आपको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन गांधी ने आदेश को मानने से सीधे सीधे इनकार किया। यह अपने किस्म की एक नयी राजनीति थी, जो चम्पारण सत्याग्रह से ही सामने आयी। आजादी का जो बीज चम्पारण में बोया गया, उसने ही वह ज्वाला फैलायी, जिससे देश को आजादी मिली। आपने (बिहार के लोगों ने) ही हमें असली गांधी दिया। आगे की लड़ाई भी गांधीजी के तरीके से लड़िये। **–राजेन्द्र सच्चर**

गांधी के साथ चलना आसान नहीं होगा

गांधी 1916 में मालवीयजी के निमंत्रण पर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस में भाग लेने पहुंचे। उस अवसर पर मौजूद राजा महाराजाओं को उन्होंने उनकी किसान विरोधी व शोषणकारी नीतियों के लिए धिक्कारना शुरू कर दिया, जिस पर मालवीय जी को माइक उनके हाथ से लेना पड़ा। चम्पारण जाने के क्रम में पटना आने पर राजेन्द्र प्रसाद की अनुपस्थिति में उनके नौकरों ने राजेन्द्र बाबू का टायलेट उन्हें इस्तेमाल नहीं करने दिया। मुजफ्फरपुर में कृपलानी जी के साथ वे ठहरे, लेकिन वहां भी उनके रुकने का विरोध हुआ, इसके बाद भी गांधी ने अपना काम किया। **–रजी अहमद**

शासन में संवाद के महत्त्व को गांधी ने बताया

आज सहमति लोग भूल ही गये हैं, विमर्श भी भूलने लगे हैं। यहां विमर्श से एक एजेंडा निकलने की बात है वह महत्त्वपूर्ण है। शासन में संवाद के महत्त्व को गांधीजी ने बताया। चम्पारण सत्याग्रह के हरेक पहलू को देखते हुए हमलोग महसूस करते हैं कि आज हमें भी उसी मार्ग पर चलना पड़ रहा है। जिस जमींदारी की बात गोपाल कृष्ण गांधी ने कही है, वह आजादी के पहले के जमींदारी से भी बड़ी समस्या है। एक-एक इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए तीन-चार लाखे हेक्टेयर जमीन को हस्तांतरित किया जा रहा है। ऐसा करते समय ग्राम सभा या स्थानीय लोगों की मर्जी नहीं पूछी जा रही है। इन सबका विरोध करना गांधीजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। **–मेधा पाटकर**

सहिष्णुता ने गांधी को बनाया

1984 में मैं पहली बार अमेरिका गया। न्यूयार्क में जॉन एफ केनेडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मैं समान लेने के लिए खड़ा था। वहां एक बहुत बड़े बैनर पर गांधी की तस्वीर थी और बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि किस चीज ने गांधी को गांधी बनाया। जवाब भी नीचे लिखा था सहिष्णुता। गांधीजी ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वह बचपन में डरपोक थे, उन्हें अंधेरा, सांप और भूत से डर लगता था। जब वे वकील बने तो उन्हें जज से डर लगता था। वे जज के सामने गये, गिड़गिड़ाया इसके बावजूद भी मुकदमा हार गये। ऐसा डरपोक गांधी चम्पारण आकर ऐसा हिम्मती बन कि जज की उनके सामने बोलती बंद हो जाती थी। **–डॉ. एस. एन. सुब्बराव**

27 मई : पं.नेहरू पुण्यतिथि : श्रद्धांजलि

पंडित नेहरू और राष्ट्रवाद

❑ किशोर बेडकिहाल

भारत जैसे परतंत्र देश को और स्वतंत्र होने के बाद तो राष्ट्रवाद आवश्यक है। लेकिन वह राष्ट्रवाद नैसर्गिक स्वरूप में होना चाहिए। नेहरू का मानना था कि राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली भावना है जो लोगों को संगठित करने की प्रेरणा देता है, प्रोत्साहित करता है और लोगों में परम्परा का निर्वाह व ऊर्जा का जागरण भी करता है। **–सं.**

आधुनिक भारत के निर्माता रूप में ही पंडित नेहरू जी की एक सार्थक पहचान है। देश को नेहरू का नेतृत्व स्वातंत्र्य-संग्राम के कारण ही मिला। स्वातंत्र्य का आह्वान, मूलभूत अधिकार, सामाजिक न्याय पर आधारित संविधान, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय नीति, नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्था, विविध धर्म-संस्कृति को संविधान के दायरे में पूरी तरह आजाद रखना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र-राज्य, विज्ञान के प्रति निष्ठा को प्रोत्साहन जैसे मुद्दे नेहरू जी के नेतृत्व में सम्भव हो सके। भारतीयों के राष्ट्रवाद को आकार देने का काम भी नेहरूजी के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ।

नेहरूजी के राष्ट्रवाद पर विचार करते हुए नेहरू के बाद के आह्वान पर भी पहले विचार किया जाना चाहिए। नेहरू के बाद के आह्वानों में ये विचार थे :

1. नवीन राष्ट्र की अखंडता, सार्वभौमिकता कायम रखना।
2. लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाये रखने के लिए जतन करना।
3. तेज गति से आर्थिक विकास करने के लिए औद्योगीकरण अपनाना।
4. राष्ट्र-राज्य निर्मिति की प्रक्रिया को गतिमान करना।
5. साम्प्रदायिकवादी शक्तियों का प्रतिकार करना।

नेहरू जी राष्ट्रवाद की कल्पना में ऊपरलिखित पांच तत्त्व ही जोड़े गये थे। नेहरू के कालखंड में धर्माधिष्ठित राष्ट्रवाद व धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद ऐसे दो पर्याय थे। इस मामले में धर्माधिष्ठित राष्ट्रवाद को नेहरू ने सदा अस्वीकार किया है। नेहरू का मानना था कि धर्म आधुनिक राष्ट्र का आधार होने के कारण ही एशिया खंड में राष्ट्रवाद का बढ़ता प्रभाव लोगों की आशा-आकांक्षा का प्रतीक है। धर्म को राष्ट्र का आधार मानने वाले लोग प्रतिगामी किस्म के होते हैं। उन्हें लोगों को धर्म की आज्ञा के सामने रखना होता है, इसलिए मूलभूत अधिकारों की संकल्पना यानी लोकतंत्र की संकल्पना होती है। भारत के स्वातंत्र्य-संग्राम में भारतीयों ने सतत लोकतंत्र की कार्यप्रणाली और स्वयंनिर्णय की मांग की थी। इसलिए नेहरू जी का मानना था कि भारत स्वतंत्र होने के बाद उसकी शासन पद्धति लोकतंत्र ही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो जनता विद्रोह कर देगी। इसलिए नेहरू की राष्ट्रवाद की संकल्पना लोकतंत्र पर ही आधारित है। साम्प्रदायिकवादी शक्तियां फासिस्ट बन सकती हैं, क्योंकि साम्प्रदायिक राष्ट्रवाद फासिज्म का अवतार है। हिटलर ने समाजवाद की अपनी परिभाषा दी। उसने राज्य संस्था और साथ ही राष्ट्र संकल्पना का भी दैवीयकरण कर दिया और प्रत्यक्षत रूप से वांशिक श्रेष्ठता पर आधारित तानाशाही की पैरवी करने वाला राष्ट्रवाद लोगों को दिया। फासिज्म राष्ट्र को सर्वोच्च स्थान पर बैठाता है और जनता की स्वतंत्रता का हरण करता है। तभी तो जहां कहीं फासिस्ट सरकारें स्थापित हुईं वे राज्य अमीरों-पूंजीपतियों के राज्य हो गये। धार्मिक और वांशिक संघर्ष ही उनका एजेंडा रहा।

राष्ट्रवाद का विचार करते समय नेहरू भारत, भारत के इतिहास व संस्कृति को किस तरह देखा यह परखना जरूरी है। क्योंकि दुनिया भर में राष्ट्रवादी अपनी प्रेरणा के लिए अपने-अपने देशों के इतिहास, परम्परा व संस्कृति पर निर्भर करते हैं। नेहरू ने भारतीय राष्ट्रवाद की प्रेरणा खोजते समय सातत्य बनाये रखने की परम्परा का महत्त्व लक्ष्य में रखा था। भारत का सतत 5000 वर्षों का इतिहास है, इसमें सातत्य है यह बात नेहरू ने कभी भी नजरअंदाज नहीं की। यह देश इतिहास में अनेक आक्रमण सहन कर भी खड़ा रहने वाला देश है। इस देश में धर्म-परम्परा-रीति-रिवाज की विपुलता है, वैविध्य है। इतना वैविध्य होने के बावजूद इस देश

में एकता है। तभी तो भारत के संदर्भ में राष्ट्रवाद का विचार करते हुए इस वैविध्य का ध्यान रखना होगा इसकी उन्हें पूरी खबर थी। वैविध्य का ध्यान रखते हुए राष्ट्रवाद केवल सांस्कृतिक परम्परा पर ही जीवित नहीं रहेगा यह भी नेहरू को अच्छी तरह पता था।

भारत जैसे परतंत्र देश को और स्वतंत्र होने के बाद तो राष्ट्रवाद आवश्यक है। लेकिन वह राष्ट्रवाद नैसर्गिक स्वरूप में होना चाहिए। नेहरू का मानना था कि राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली भावना है जो लोगों को संगठित करने की प्रेरणा देता है, प्रोत्साहित करता है और लोगों में परम्परा का निर्वाह व ऊर्जा का जागरण भी करता है। इसी तरह यह एक भी भूप्रदेश में रहने वाले लोगों को सहअस्तित्व व सहजीवन की प्रेरणा भी देता है। हम सबका उद्देश्य एक ही है यही राष्ट्रवाद हमें याद दिलाता है। राष्ट्रवाद का यही विधायक रूप नेहरू को मान्य था। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रनिर्माण की चिन्ता करते हुए उन्होंने परम्परा-इतिहास की ओर देखते हुए ऐतिहासिक व धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखा। इसके कारण भारतीय समाज में परम्परा के प्रति जैसा दीर्घकाल से चला रहा सातत्य है वैसा ही सातत्य विविध सामाजिक वर्गों के अंतर में है। ये ही अंतर अगर देश के पिछड़ेपन की तरह ही रहेंगे तो दोफाड़ या फूट में फुटीरजेत रूपांतरित होने में वक्त नहीं लगेगा। भाषा, जाति, धर्म, वंश के वैविध्य जितने आकर्षक हैं उतने ही आह्वानकारी भी हैं। अपने-अपने सामाजिक वर्गों के अहंकार, अस्मिता को यदि स्वायत्तता मिलती है, तो विधायक को बांटने वाला राष्ट्रवाद देख-देखकर फूट पड़ सकती है इस बात का अहसास नेहरू को था। तभी तो परम्परा के विषय में विचार करते हुए नेहरू ऐतिहासिक दृष्टिकोण छोड़ते नहीं हैं। सांस्कृतिक अनेकता, मतभेद संबंधी सहिष्णुता, नये विचार व वैचारिक प्रवाह को आत्मसात करने की क्षमता और साथ ही परंपरा के सातत्य को बनाये रखने के लिए उसमें होने वाले कालोचित बदलाव का स्वागत करना ही भारतीय संस्कृति की विशेषता है, यह बात नेहरू की नजर में महत्त्वपूर्ण थी। भारतीय राष्ट्रवाद के उतार व चढ़ाव के दौरान इस विशेषता का ध्यान तो उन्होंने ही रखा ही, साथ ही साथ उन्होंने यह भी ध्यान रखा कि एकता के लिए विविधता की बलि न देनी पड़े। सच ही है कि यह तारों को जमीन पर लाने जैसा कठिन काम था और यह काम नेहरू के नेतृत्व में ही सम्भव हो सका।

धर्म आधारित राष्ट्रवाद मानने वाली मंडलियां देश का विचार करते समय भावनात्मक रीति से परम्पराओं का इस्तेमाल करती हैं। जैसे, भारतमाता की संकल्पना बनाते समय धार्मिक राष्ट्रवादी मंडली देश में स्थित मंदिरों, तीर्थस्थानों, नदियों, नालों, पहाड़ों-चट्टानों, प्रदेशों आदि को गैरजरूरी महत्त्व देते हैं। अगर एक विशिष्ट धार्मिक परम्परा के प्रतीकों का चुनाव किया जाये, तो उस परम्परा के बाहर के दूसरे समूह खुद को कटा महसूस करेंगे यह बात नेहरू जानते थे, इसलिए उन्होंने धर्म को राष्ट्र का आधार मानने व बनाने से इनकार कर दिया। राष्ट्रध्वज जैसे महत्त्वपूर्ण प्रतीक का चुनाव करते समय उन्होंने देश में रहने वाले हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध आदि की परम्पराओं का सम्मिश्रण के प्रतीकों का चुनाव किया। उसी प्रकार उन्होंने रवीन्द्रनाथ टैगोर के धर्मविहीन अध्यात्म और सौन्दर्यसृष्टि का इस्तेमाल किया। इसीलिए तो भारत का राष्ट्रध्वज सभी भारतीयों को 'अपना' लगता है।

भारत राष्ट्र का विचार करते हुए इस देश में बसने वाले करोड़ों लोगों, उनकी आकांक्षाओं, मतों, मनों को नेहरू ने प्रधानता दी। राष्ट्र की संकल्पना केवल अमूर्त प्रदेशों में देखने के बजाय मूर्त स्वरूप में लोगों यानी जनता के रूप में देखने की उनकी दृष्टि थी। इसके लिए उनकी राष्ट्रवाद की संकल्पना लोगों में एकता और उनकी समस्याओं के समाधान करने से संबंधित रही।

स्वातंत्र्योत्तर काल में नेहरू के बाद राष्ट्रवाद की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समस्या आक्रामक हिन्दू साम्प्रदायिकवाद की थी। विभाजन के बाद भारत के मुसलमानों की संख्या इतनी कम हो गयी कि उनका राजनीतिक महत्त्व लगभग खत्म हो गया। लेकिन किसी कारण से हिन्दू साम्प्रदायिकवाद जैसे-जैसे बढ़ता गया, आक्रामक होता गया, वैसे-वैसे देश का विभाजन अटल होता जा रहा था, यह बात नेहरू जानते थे। इसके अलावा वे यह भी जानते थे कि अगर भारत में धर्म आधारित राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में बैठ जायेगी, तो भारत की अनेकता, वैविध्य, सहिष्णुता की परम्परा भी नष्ट हो जायेगी और फासिस्ट राष्ट्र की दिशा में भारत आगे बढ़ता दिखाई देगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिन्दू महासभा, रामराज्य परिषद जैसे हिन्दुत्ववादी संगठनों का इस दिशा में आग्रह और दबाव तो था ही और जनसंघ जैसे (आज भाजपा) राजनीतिक दल धार्मिक आधार पर ही अपनी राजनीति कर रहे थे। हिन्दू कानून में कालोचित बदलाव का विरोध भी ये शक्तियां कर रही थीं। संस्थानिकांची, राजेमहाराजांची पाठराखण करत होत्या। इसके अलावा आर्थिक नीति के मामले में मुक्त पूंजीवाद का समर्थन ये शक्तियां कर रही थीं। ये शक्तियां गरीब, पिछड़े, वंचित समाज के घटकों को न्याय, सम्मान-प्रतिष्ठा देने के खिलाफ भी थीं। नेहरू की नीति में साम्प्रदायिकवाद का विरोध क्यों था? बहुसंख्यकों के राष्ट्रवाद का विरोध क्यों था, इसका खुलासा किया जा सकता है।

जीवन-पद्धति, विविधता के प्रतिबिम्ब के रूप में लोकतंत्र में मुक्त प्रवाह, मूलभूत समता के प्रतीक के रूप में प्रौढ़ मतदाताओं

की सार्वभौमिकता, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो और उनका स्वावलंबी विकास हो और साथ ही राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादियों पर देश की निर्भरता न बढ़े इसलिए लोकतंत्र की दहलीज पर समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्तिशाली देशों के दबाव को कम करने के लिए गुट निरपेक्षता का तीसरा मार्ग अपनाना, अन्यायरूढ़ी-परम्परा से मुक्त होने के लिए और विकास के अवसरों तथा प्रक्रिया में सहभागी होने में लोगों की क्षमता बढ़ाने के लिए परम्परागत धार्मिक कानून की रचना में बदलाव लाने के लिए और राज्य की कार्यप्रणाली में किसी भी विशिष्ट धर्म का अनुसरण न हो इसके लिए धर्मनिरपेक्षता, भविष्य में अंतर्राष्ट्रीयवाद से सुसंगत होने के लिए अनाक्रमक, विधायक, सर्जनशील, सर्व समावेशक राष्ट्रवाद, भविष्य में किसी भी राष्ट्र को किसी अन्य देश का गुलाम बनकर रहना न पड़े इसके लिए साम्राज्यवाद का विरोध, कमजोर और नवस्वतंत्र राष्ट्रों को अनावश्यक संघर्ष के खिलाफ न खड़े होना पड़े इसलिए आवाज देने के लिए स्पर्धा के बजाय सहकार्य की भूमिका सहित इन सभी के संदर्भ में नेहरू के राष्ट्रवाद के विभिन्न रूप हैं।

नेहरू जैसा प्रगतिशील, सामंजस्य-कारी, इतिहास का जानकार, समाजवाद का पैरोकार, लोकतंत्र पर मन से श्रद्धा रखने वाला, परम्परा व आधुनिकता का सुंदर संगम का प्रतीक, साहित्य, सौन्दर्य, धर्मविरहित अध्यात्म, एकता आदि पर दृढ़ विश्वास रखने वाला नेता भारत को मिला, इसीलिए भारतीय राष्ट्रवाद अनाक्रमक, सामाजिक न्यायावर आधारित, शोषण व साम्राज्य विरोधी, समाजग्रही व स्वावलंबी राष्ट्र बनकर उभरा यह बात हमें आज माननी ही पड़ेगी। भारत का रूपांतरण धर्म आधारित राष्ट्र के रूप में नहीं हुआ तो इसका श्रेय बड़े पैमाने पर नेहरू को ही दिया जाना चाहिए। ❑

गतांक से आगे...

कछुआ और खरगोश

❑ डॉ. जाकिर हुसैन

हार और जीत की इतनी पुरानी कहानी। आज नये लोगों को तो इसकी सीख भी पुरानी, घिसी-पिटी ही लगेगी। पर जब इसी कहानी को सुनाने वाले डॉ. जाकिर हुसैन जैसे शिक्षाविद हों तो पक्का भरोसा है कि सब कुछ बदल जाता है। फुर्तीला खरगोश यहां आलस नहीं दिखाता, रास्ते में सोता नहीं है। और सातत्य निभाने वाला कछुआ यहां ठिठक जाता है और हम सबके सामने कुछ बड़े प्रश्न रख जाता है। यह कहानी केवल कछुआ और खरगोश की नहीं, बल्कि एक जमाने, उसके समाज, उसकी संस्कृति और उसका साहित्य, सामाजिक परिवर्तन की लेती करवटों की कहानी है। कहानी है जमुना नदी, जंगल, जानवर, तीतर, खरगोश, यमुना की मछलियां तथा बच्चों के पाठशाला के प्रोफेसर, पंडित और मुल्ला की। यह कहानी है मनुष्य जाति के परस्पर संबंधों की और इस कहानी के पात्रों से सीख लेने की। प्रस्तुत है उनकी इस एक लंबी कहानी का संपादित रूप। **–सं.**

''जी हां, मौलाना, सवाल दिलचस्प है और इसमें अनुसंधान के बहुत-से पहलू हैं। संक्षेप में कहता हूं। वस्तुस्थिति यह है कि जानवरों की और कभी-कभी जानवरों और मनुष्यों की मिली-जुली कहानियां प्राचीन काल से भारत और यूनान के साथ विशेष रूप से जुड़ी रही हैं। किन्तु इनमें ज्यादातर हिस्सा इन दो देशों का है—भारत और यूनान का। ये कथाएं यूनान में ईसप के नाम से जानी जाती हैं। भारत में ज्यादातर जातक कथाओं से, जो गौतम बुद्ध के जनम से संबंधित कहानियां हैं। आजकल हमारे पास ईसप की कथाओं के नाम से जो संग्रह है, वह यूरोप में छपाई का काम प्रारंभ होने के थोड़े ही दिन बाद सन् 1480 ई. में हाइजश इंशटाइन हावल ने लैटिन और जर्मनी भाषा में छापा था। आठ-दस साल के अंदर-अंदर इसका अनुवाद इतालवी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और डच भाषाओं में हो गया। इस संग्रह में जो कहानियां हैं, वह फीडरस नाम के एक यूनानी ने ईसवी की प्रथम शताब्दी में कविता में लिखी थीं। इनके अतिरिक्त कुछ कहानियां यूनानी कथाओं से भी ली गयी हैं जिन्हें 'ईसप' की वास्तविक कृति समझा जाता था, किन्तु अनुसंधान ने सिद्ध कर दिया कि ये भी पहले कविता में थीं, और इनको लिखने वाला तीसरी शताब्दी ईस्वी के प्रारम्भ में एक राजकुमार का अध्यापक गुरु था। इस कविता में लिखने वाले ने लिखा है कि उसने कुछ कथाएं 'ईसप' से ली हैं और कुछ दूसरे स्थानों से। ये दूसरी कथाएं सिंहल द्वीप के राजदूत के द्वारा सन् 52 ईस्वी में यूरोप पहुंची थीं। फीडरस के किस्सों में भी भारतीय तत्त्व मिलता है।''

कछुए पर इस व्याख्यान का न जाने क्या प्रभाव पड़ा कि उसने आंखें बंद कर लीं। मौलाना ने भी सोचा कि सवाल से असंबंधित ज्ञान की प्रवाहमयी अभिव्यक्ति गरीब कछुए के कुछ काम नहीं आयेगी। धीरे से बोले, ''डाक्टर साहब, बात को इतना लंबा न खींचिए, संक्षेप में जवाब दे दीजिए, इनकी संतुष्टि हो जायेगी।''

''हजरत मौलाना, माफ करें। मेरी बात कोई बीच में काटता है तो मुझे अत्यंत दुख होता है। निरंतर अध्ययन की वजह से ज्ञान का

इतना अधिक भंडार एकत्र हो गया है कि एक की सामग्री दूसरे की सामग्री में मिल जाती है। इसलिए मैं नोट रखता हूं। रात ही इस समस्या पर मैंने आपकी वजह से अपने नोट देखे हैं। अब अगर आप मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने देंगे तो न जाने बात कहां-से-कहां पहुंच जायेगी। खैर तो मैं ये कहना चाहता था कि भूतकाल की कहानियां और ईसप की कहानियां बहुत मिलती-जुलती हैं। ईसप की कुछ कहानियां महाभारत की कुछ कहानियों से मिलती हैं और मौलाना, इस पर लोगों ने बहुत सिर मारा है कि कहानियां यूनान से हिन्दुस्तान पहुंचीं या हिन्दुस्तान से यूनान। अनुसंधानकर्ताओं ने इसका समाधान यहूदियों, मुद्राराक्षी साहित्य की तीस कहानियों से किया है कि एक दूसरे की इनसे मिलती-जुलती कहानियां भारतीय भी हैं और यूनानी भी। सबसे प्राचीन भारतीय संग्रह चौथी शताब्दी ई. पू. बल्कि इससे भी पूर्व का था, अर्थात पंचतंत्र, हितोपदेश उसी के बाद का रूप हैं, जिनमें अलग-अलग कहानियों का वर्णन करके एक सूत्र में बांध दिया गया है। 'कलीला' व 'दमना' के रूप में यह कथा प्राचीन फारसी और अरबी के माध्यम से लैटिन भाषा में पहुंची और इस पर अनेक कथाकारों ने नई-नई कथाओं का निर्माण किया। यूरोप में उन पर क्या गुजरी। फीडरस की लैटिन कविता, बाबरीस का फुसफुसी-यूनानी गद्य—'मेरी-फ्रांस' का अंग्रेजीसे 103 कहानियों का अनुवाद और 'बराखिया नकदान' अंग्रेजी यहूदी की एक सौ सात कहानियों का संग्रह जिसका नाम था—'मशलेशवालम' अर्थात लोमड़ी की कहानियां और 'इंशटाइन हावल', 'लानान तैन' और 'बिनफाई' और 'मैक्समूलर' के अनुसंधान को विस्तार से सुनाने को जी चाहता है। किन्तु आप तो पहले से ही कसमसा रहे हैं मौलाना। मैंने व्यर्थ में ही रात देर तक इस विषय पर अपने नोट देखे।''

''बहुत-बहुत धन्यवाद डॉ. साहब,'' मौलाना ने कुछ आतुरता से कहा, ''इस कहानी को खत्म ही कीजिए। आपके ज्ञान के इस सागर में इस गरीब कछुए का सवाल तो डूबकर ही अदृश्य हो गया है। अब भी आप बता सकें तो बताइए कि वास्तव में खरगोश और कछुए की दौड़ हुई थी या नहीं और हुई थी तो कौन जीता था? कहानी तो हमने भी सुनी है और इस कछुए ने भी। मगर वास्तविकता क्या थी?''

''सुनाऊं मौलवी साहब, वास्तविकता का मसला तो मैं समझा चुका हूं, विस्तार से बयान करूंगा तो आप क्रोध करेंगे। बात यह है कि इन जानवरों की कहानियों में लेखक जानवरों को ज्ञान के लिए प्रतीक या विशेष नाम के तौर पर प्रयोग करता है। मनुष्य की विशेषताओं और बुराइयों को जानवरों के चरित्र के रूप में बयान करता है। उदाहरण के लिए जैसे हिम्मत के लिए शेर, लालच के लिए भेड़िया, मक्कारों के लिए लोमड़ी, भोलेपन के लिए भेड़ का बच्चा। नैतिक मूल्यों का यह पहला आधार है। मक्कारी अर्थात लोमड़ीपन, बहादुरी शेरपन, निर्दयता अर्थात भेड़ियापन, तीव्र गति अर्थात खरगोशपन, धीमी गति अर्थात कछुआपन। बच्चों के सीधे-सादे मस्तिष्क के लिए इनमें आकर्षण होता है। कुछ हंसों की बातें भी होती हैं जिन्हें बच्चे पसंद करते हैं। इन कहानियों में जिन उपदेशों की शिक्षा दी जाती है, वे भी सीधे-सादे होते हैं, अर्थात जानवरों की विशेषताओं से मिलती-जुलती श्रेष्ठ विशेषताएं। उदाहरण के लिए ज्ञान, सौन्दर्य, भलमनसाहत, लिहाजदारी ये उनकी पहुंच से बाहर होते हैं।''

''भाई डॉक्टर, क्या दिमाग पाया है! क्या अभिव्यक्ति पायी है आपने। सारा सबेरा बीत गया और हम हैं कि आपके सुंदर भाषण के जल-प्रवाह में भंवर की तरह चक्कर काट रहे हैं। संक्षेप में बताइए कि इस कहानी में कछुआ जीता था या खरगोश?''

''जनाब, कहानी में कहानी होती है। न कोई हारता है, न कोई जीतता है। यों तो खरगोश हारा था, कछुआ जीता था लेकिन उसके साथ शर्तें हैं। खरगोश को दौड़ में सो जाना चाहिए। और कछुए को जागते रहना, चलते रहना चाहिए। अगर खरगोश प्रतीक है तीव्र गति का और कछुआ प्रतीक है धीमी गति का तो यह परिणाम व्यर्थ है। किन्तु यदि कहानी वाला खरगोश या किस्से वाला खरगोश गलत अभियान का, स्वप्न अवस्था का प्रतीक है और कछुआ निरंतर प्रयास और जागरूकता का प्रतीक है, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना स्वाभाविक है। किन्तु ये सब बताना मेरा काम नहीं। आप सुनें तो कछुए के संबंध में कुछ और सुनाऊं। खरगोश के संबंध में ज्यादा ज्ञान नहीं रखता। अभी इस विषय पर मैं संतोषजनक अध्ययन नहीं कर पाया हूं। हां, तो कछुए को लीजिए, कछुआ अमेरिका और एशिया के बहुत से आदिवासी नागरिकों के मतानुसार वह जीवित वस्तु है, जिसकी पीठ पर दुनिया टिकी हुई है। मुंडारी कौल जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं। कहीं-कहीं इसकी बलि भी दी जाती है। सच है, कभी नौका गाड़ी पर और कभी गाड़ी नौका पर...मौलाना, जल्दी बताइए, अन्यथा बातचीत का सिलसिला टूट जायेगा। वह बेजोड़ हो जाएगी और मैं न जाने किधर भटक जाऊं।''

मौलाना ने कहा, ''मुझे याद नहीं कि आप क्या कह रहे थे? आखिर कोई कितना याद रखे? अब खत्म कीजिए ये कहानी।''

''फिर वह खरगोश, मैं तो कह चुका हूं कि खरगोश के संबंध में मेरा अध्ययन बहुत सीमित है और कछुए के संबंध में स्पष्ट ही है। चीनी कछुए के खोल में स्याही डालते थे और फिर उसे अंगीठी पर सेंक देते थे तो फिर स्याही खोल की रेखाओं में इस तरह फैल जाती थी जैसे कुछ लिखा हो और उस लिखाई को पढ़ना वे जानते थे और आने वाली घटनाओं का पता चला लेते थे। अंततः कछुआ, मौलानाजी, कछुआ आश्चर्यजनक चीज है। इस पर अलग से शोध-ग्रंथ लिखा जा सकता है।''

मौलाना बोले, ''खुदा के लिए दया करो डॉक्टर, दया करो मुझ पर और इस गरीब बूढ़े कछुए पर। अपराध हुआ, बड़ा अपराध हुआ कि आपको कष्ट दिया। आप शोध प्रबंध अवश्य लिखिए, अब हमें क्षमा कर दीजिए, बख्श दीजिए। आपके साहित्य, अनुसंधान, आलोचना और अंतर्कथाओं, सबकी दुहाई देता हूं, बख्श दीजिए!''

कछुआ बोला, ''मुल्लाजी, क्या वे गए? तनिक आंख मूंद गयी थी, क्षमा चाहता हूं, पर यह तो बताइए मुल्लाजी, मैं ये किस चक्कर में फंस गया हूं? आपको भी इतना कष्ट दिया। आप प्रोफेसरजी को लाए, डॉक्टरजी को लाए पर ऐसा लगता है कि ये

मेरी समस्या को कुछ न समझे। या हो सकता है कि मैं न समझा हूं कि ये क्या कह रहे हैं, किन्तु सच यह है कि हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा। आप मुल्लाजी, समझे हों तो समझे हों।''

मुल्लाजी ने कहा, ''सच कहते हो कछुराम, मैं तो बस इतना समझा कि ये बड़े-बड़े ज्ञानवान स्वयं कितने बड़े-बड़े मूर्ख होते हैं। हमारे यहां कहते हैं—'अल इल्म हिजा बुंल अकबर', इल्म अथवा विद्या बहुत बड़ा परदा है, आंखों पर पड़ जाता है, कानों पर पड़ जाता है, दिल पर पड़ जाता है। बस, जुबान चलती रहती है। मुझे तुमसे बहुत लाज आती है कछुरामजी, जो मैं इन लोगों को तुम्हारे पास लाया।''

''नहीं मुल्लाजी, आप क्यों लजाएं, आपने तो अच्छा ही किया था। ये मेरी किस्मत कि कुछ हाथ न आया। इस कारण पूछता हूं कि हृदय की व्याकुलता किसी तरह नहीं जाती। ये तो खोज लगा ही दो मुल्लाजी कि कौन जीता था—कछुआ अथवा खरगोश?''

मुल्लाजी ने कहा, ''भाई कछुराम, मैं तो स्वयं इसी सोच में हूं। जब डॉक्टर साहब ने जाने क्या-क्या इधर-उधर की बातें कर रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि तुम्हारी गुत्थी कैसे सुलझे। मैंने सोचा, ये किताबें अथवा पुस्तक पढ़ने वाले अपनी पुस्तकों के बोझ से दब जाते हैं। खुद सोचते-समझते नहीं हैं। अब की किसी ऐसे से पूछूं जो बस विचार से, अक्ल से अथवा बुद्धि से काम ले और तुम्हारा प्रश्न सुलझा दे।''

मुल्लाजी ने कहा, ''अच्छा, कल मैं अपने एक और साथी को ले आऊंगा। उनका काम ही सोच-विचार है। वह मंतक और फलसफा (तर्कशास्त्र और दर्शन) पढ़ाते हैं।''

कछुआ बोला, ''आप जिसे ठीक जानें, ले आएं, मेरी समस्या तो सुलझे।''

''अच्छा, तो अब जाता हूं, कल सुबह अलफलसेफुलहिन्दी (भारतमीय दार्शनिक) को साथ लाऊंगा।''

यह महापुरुष जिनकी चर्चा मौलाना ने की, पाठशाला में मंतक और फलसफे की शिक्षा देते थे। इनसे जब कोई किसी मसले में किसी प्रसिद्ध दार्शनिक का मत पूछता तो कहते कि उसकी किताब पढ़ो, पता चल जाएगा। मुझसे मेरा पूछा। मैं दूसरे दार्शनिकों का दलाल नहीं हूं। स्वयं दार्शनिक हूं।

बात कहां की कहां पहुंच गयी। आज सबेरे जो डॉ. फिलफौर की बातों में मौलाना गुफरान को बहुत देर हो गयी थी, इसलिए सीधे अपने घर आये। स्नान और नाश्ता करके जल्दी-जल्दी पाठशाला गये। पहले ही घंटे में उन्हें पढ़ाना था। दिन पढ़ाई और दूसरे कामों में बीच गया। शाम को मौलाना अलफलसेफुलहिन्दी के पास गये और उन्हें सारी घटना सुनाई।

अलफलसेफुलहिन्दी ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, ''मौलाना, देखिए साफ अच्छी होती है। कथा, कहानी, इतिहास और साहित्य से मुझे कुछ लेना-देना नहीं। ये विशेषज्ञता का काल है और मैंने अपने मस्तिष्क को चिन्तन और मनन के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया है। मैं तो इस समस्या पर स्वयं विचार करूंगा और मेरी बुद्धि के अनुसार कछुए का दौड़ में जीतना संभव या अनिवार्य हुआ तो मैं यह शुभ सूचना उन्हें पहुंचा दूंगा। कथाओं के बल पर कोई बात भरोसे से नहीं कही जा सकती। अच्छा, तो सवाल को जरा और स्पष्ट कर लें।''

...क्रमशः अगले अंक में

महात्मा गांधी स्कूल बंद करना अनुचित
संग्रहालय का स्वागत

मोहनदास करमचंद गांधी ने राजकोट के जिस अल्फ्रेड हाईस्कूल में मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त की थी उसे गुजरात सरकार द्वारा बंद करने का फैसला अनुचित है। इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को इस बात का गर्व होता है कि वे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में कभी मोहनदास गांधी ने शिक्षा प्राप्त की थी।

सर्वोदय विचार के राष्ट्रीय संगठन सर्व सेवा संघ (अ.भा. सर्वोदय मंडल) के अध्यक्षी **श्री महादेव विद्रोही** ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि गुजरात सरकार द्वारा राजकोट में महात्मा गांधी संग्रहालय स्थापित करने के फैसले का सर्व सेवा संघ स्वागत करता है, पर इसके लिए स्कूल को बंद करना उचित नहीं है। यह स्कूल अपने आप में एक स्मारक है। इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1953 में हुई थी। सरकार का यह कहना है कि कुछ साल पहले यहां के सभी छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये थे, सरकार का गैरजिम्मेदाराना वक्तव्य है। देश के सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है। छात्रों का फेल होना यही दर्शाता है कि यहां छात्रों को समुचित शिक्षा एवं मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है।

महात्मा गांधी का संग्रहालय बनाने में स्कूल किसी भी रूप में बाधक नहीं है। सर्व सेवा संघ गुजरात सरकार तथा राजकोट महानगरपालिका से अपील करता है कि इस ऐतिहासिक स्कूल को चालू रखा जाये एवं इसके साथ संग्रहालय भी बनाया जाय। हम यह भी चाहेंगे कि इसी स्कूल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन एवं विचारों को एक अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ाया जाय ताकि इस इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र नैतिकता, सत्य, अहिंसा, श्रम एवं सत्याग्रह का पाठ सीख सकें।

सरकारी स्कूलों की स्थिति आज जनबूझकर ऐसी बना दी गयी है कि अभिभावक अपने बच्चों को वहां पढ़ाना उचित नहीं समझते हैं। इसका सीधा फायदा प्राइवेट स्कूलों को होता है और इससे निजीकरण को प्रश्रय मिलता है।

2019 में महात्मा गांधी तथा माता कस्तूरबा की 150वीं जयंती आ रही है। इस पावन अवसर पर गुजरात सरकार एवं राजकोट महानगरपालिका अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर इस स्कूला को और गरिमापूर्ण, समृद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तीर्थ के रूप में विकसित करेगी एवं वहां विश्वस्तरीय गांधी संग्रहालय भी स्थापित करेगी। राष्ट्रपिता को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

–मारोती गावंडे
कार्यालय मंत्री, सर्व सेवा संघ

सर्व सेवा संघ के 85वें अधिवेशन (25 मार्च, 2017 : मोतीहारी) में चार वरिष्ठ गांधीजनों को सम्मानित किया गया।
'सर्वोदय सम्मान' पत्र अविकल प्रस्तुत है। - सं.

सर्व सेवा संघ SARVA SEVA SANGH
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल) (Akhil Bharat Sarvodaya Mandal)

महादेवभाई भवन, सेवाग्राम, वर्धा–442102, (महाराष्ट्र)
Mahadevbhai Bhavan, Sewagram, Wardha – 442102 (Maharashtra)

सर्वोदय सम्मान

श्री बिमलचन्द्र पाल,

आप पश्चिम बंगाल प्रदेश के विख्यात सर्वोदय सेवक हैं।
कोलकाता की रिपोन कॉलेज में अध्ययन के दौरान आप जब विख्यात सर्वोदय नेता श्री धीरेन्द्र मजूमदार के सम्पर्क में आये तभी से आपके जीवन की दिशा निर्धारित हो गई। श्री धीरेन्द्र मजूमदार ने आपको समझाया कि स्कूल और कॉलेज 'जी हुजूर' लोगों को पैदा करने वाले कारखाने मात्र हैं, वास्तविक ज्ञान और जीवन का निर्माण करने वाली शिक्षा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यहीं से आप ने निश्चय कर लिया कि जीवन का सार गांधी मार्ग ही है और आगे चलकर यही आपके जीवन का लक्ष्य बन गया।
चाण्डिल में सम्पन्न सर्वोदय सम्मेलन में भाग लेने के बाद आपने खादीग्राम में प्रवेश लिया, जो उस समय देश का गांधी विचार का श्रेष्ठ व्यावहारिक प्रशिक्षण केन्द्र था। यहां श्री धीरेन्द्र मजूमदार ने आपको सफाई कार्यक्रम सौंपा, जिसका आपने पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह किया। 1952 से 1954 की अवधि में आप यहीं रह कर विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों से जुड़े रहे।
श्री धीरेन्द्र मजूमदार ने जब आपको परामर्श दिया कि खादी ग्राम में जो कुछ सीखा उसको अपने क्षेत्र में क्रियान्वित करें, तो आप पश्चिम बंगाल लौट आये। 1956 में आपने बंगाल–उड़ीसा सीमा पर पश्चिमी मिदनापुर में बेलदा में पिताश्री हरनचन्द्र पाल द्वारा दी गई भूमि पर श्रम विद्यापीठ आश्रम की स्थापना की, जहां खादी उत्पादन, साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करने जैसी अनेक रचनात्मक गतिविधियां मूल आधार बनी।
आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में चले भूदान यज्ञ आन्दोलन में आपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इस सम्बन्ध में आचार्य विनोबा भावे ने दो बार पश्चिम बंगाल की यात्रा की और उनकी दोनों यात्राओं का संयोजन आपने कुशलतापूर्वक किया तथा मुंगेर जिले में भूदान अभियान चलाया।
बोधगया सर्वोदय सम्मेलन के दौरान भूदान मूलक, ग्रामोद्योग प्रधान, अहिंसक क्रान्ति के लिये विनोबा जी के आव्हान पर आप अधीर हो उठे। जब श्री वल्लभ स्वामीजी ने विनोबा जी से एक युवा स्वयंसेवक दिये जाने की मांग की, तो उन्होंने आपको चुना और आपने स्वामी जी के साथ पूर्ण मनोयोग से कार्य किया।
1970 के दशक में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हुये सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलन में आपकी विशेष भूमिका रही। जे.पी. द्वारा गठित ग्राम निर्माण समिति में आपको शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल गांधी स्मारक निधि, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान जैसी गांधी संस्थाओं के अतिरिक्त आप लम्बे समय तक पश्चिम बंगाल प्रदेश सर्वोदय मण्डल के अध्यक्ष रहे। श्री चारूचन्द्र भण्डारी तथा श्री क्षितीश राय चौधरी जैसे बंगाल के प्रतिष्ठित सर्वोदय नेताओं के साथ कार्य करने का आपको अवसर मिला।
श्री यशपाल मित्तल की अध्यक्षता में गठित सर्व सेवा संघ की कार्यकारिणी मे आपने मंत्री पद की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। आज 86 वर्ष की उम्र में भी आप गांधी पथ पर अग्रसर हैं।
सर्व सेवा संघ के 85वें अधिवेशन के अवसर पर 'सर्वोदय सम्मान' से आपको सम्मानित करते हुये हमें हर्ष हो रहा है।
हम आपके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करते हैं!

मोतीहारी,
25 मार्च 2017

(महादेव विद्रोही)
अध्यक्ष

(शेख हुसैन)
महामंत्री

सर्व सेवा संघ SARVA SEVA SANGH
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल) (Akhil Bharat Sarvodaya Mandal)
महादेवभाई भवन, सेवाग्राम, वर्धा–442102, (महाराष्ट्र)
Mahadevbhai Bhavan, Sewagram, Wardha – 442102 (Maharashtra)

सर्वोदय सम्मान

श्रद्धेय श्री पंथराम जी वर्मा,

बापू की कर्मभूमि चम्पारण में सर्व सेवा संघ के 85वें अधिवेशन के अवसर पर 'सर्वोदय सम्मान' के साथ आपका सार्वजनिक अभिनन्दन करते हुये हमें गर्व की अनुभूति हो रही है।

गांधी और खादी के प्रति निष्ठा

14 अक्टूबर 1924 को छततीसगढ़ के दुर्ग जिले के छोटे से गांव मटंग में श्री उदयराम के घर जन्म लेकर गांधी और सर्वोदय विचार के प्रति आपने अपना जीवन समर्पित किया। आज 93 वर्ष की उम्र में भी गांधी और खादी के प्रति आपकी निष्ठा वन्दनीय है!

तिरंगा यात्रा

1942 में तिरंगा झण्डा लेकर गीत गाते हुये जुलूस निकाल कर गांव–गांव में आजादी की अलख जगाने से शुरु हुई देश की स्वतंत्रता के प्रति आपकी लगन आज की युवा पीढ़ी के लिये अनुकरणीय है!

सर्वोदय संस्कार

मार्च 1948 में सेवाग्राम में आचार्य विनोबा भावे, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद तथा पं. जवाहरलाल नेहरु जैसे शीर्ष नेताओं के सानिध्य में हुये राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्व सेवा संघ और सर्वोदय समाज के गठन ने आपके मानस पर अमिट छाप छोड़ी, जिससे प्रभावित होकर पिता की राजनैतिक विरासत छोड़ कर आप सर्वोदय सेवक बने। गांधी और सर्वोदय संस्कार की यह ज्योति आज भी आपने जलाये रखी है। आप धन्य हैं!

भूदान का अभिदान

1955 में विनोबा जी के नेतृत्व में चले राष्ट्र व्यापी भूदान यज्ञ से गहरे प्रभावित होकर आप भूदान प्राप्ति के लिये निकल पड़े और दस हजार एकड़ भूमि दान में प्राप्त की, जिस में दुर्ग जिले की रानी झमित कुंवर देवी से प्राप्त एक हजार एकड़ भूमि का दान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1983 से 1990 तक मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ बोर्ड के अध्यक्ष रहने के दौरान प्राप्त चार लाख एकड़ भूमि में से दो लाख एकड़ भूमि वितरण का जो अतुलनीय कार्य आपने किया, वह श्लाघनीय है!

सर्व धर्म समभाव

गीता प्रेस गोरखपुर से रामचरित मानस की शिशु, प्रथमा, मध्यमा तथा उत्तरा परीक्षाएं उत्तीर्ण करने तथा छत्तीसगढ़ी भाषा में रामलीला को नाट्य रूप में लिखने जैसे धर्म प्रवण कार्य करते हुये आज भी आप सर्व धर्म समभाव के लिये सतत प्रयत्नशील हैं!

आयु के 93 वर्ष पूरे कर जीवन शतक की ओर अग्रसर रहते हुये आप निरन्तर सक्रिय हैं और गांधी–विनोबा–जयप्रकाश के विचारों को अग्रेसित कर रहे हैं, वह स्तुत्य है!

हम आपके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करते हैं।

मोतीहारी,
25 मार्च 2017

(महादेव विद्रोही)
अध्यक्ष

(शेख हुसैन)
महामंत्री

सर्व सेवा संघ SARVA SEVA SANGH
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल) (Akhil Bharat Sarvodaya Mandal)
महादेवभाई भवन, सेवाग्राम, वर्धा–442102, (महाराष्ट्र)
Mahadevbhai Bhavan, Sewagram, Wardha – 442102 (Maharashtra)

सर्वोदय सम्मान

आदरणीय श्री सत्यदेव जी,

गांधी, खादी और सर्वोदय के प्रति आपके समर्पित जीवन के 92 वर्षों के कार्यों का सर्व सेवा संघ के 85वें अधिवेशन के अवसर पर अभिनन्दन करते हुये हमें अत्यन्त प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।

चम्पारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के इस ऐतिहासिक अवसर पर आपके सक्रिय जीवन के 9 दशकों के आपके कार्यों का लेखा–जोखा करना देश की नई पीढ़ी के लिये प्रेरणादायी होगा।

क्रान्तिकारी पृष्ठभूमि

राजस्थान के झुंझुनू जिले की चिड़ावा तहसील के देवरोड़ गांव में 22 फरवरी, 1925 को शेखावाटी क्षेत्र के क्रान्तिकारी किसान नेता कुंवर पन्नेसिंह के घर आपका जन्म हुआ उस समय अंग्रेजों के साथ–साथ रियासती राजाओं तथा जागीरदारों का आतंक और जन साधाराण का शोषण चरम पर था। इस आतंक को तोड़ते हुये आपके पिता कुं. पन्नेसिंह ने 1932 में झुंझुनू में राष्ट्रीय स्तर का किसान सम्मेलन आयोजित किया, जो कि एक अभूतपूर्व और साहसपूर्ण कार्य था। ऐसे क्रान्तिकारी पिता के सानिध्य में आपका लालन पालन हुआ, जो आगे चलकर दिशा सूचक बना।

जाति प्रथा पर चोट

मृत पशुओं का चमड़ा निकलना और चर्म शोधन एक हीन और जाति विशेष का कार्य माना जाता था। इस जातीय हीनता को तोड़ते हुये आपके पिता कुं. पन्ने सिंह ने अपने घर पर चमड़ा रंगने का कार्य शुरु किया। यहीं से जाति प्रथा विरोधी बीज आपके जीवन के बाल्यकाल में ही पड़ गये थे।

खादी और कुटीर उद्योग

1940 में श्री घनश्याम दास बिड़ला तथा जमनालाल बजाज ने पिलानी में खादी बुनाई, तेल घाणी, कागज आदि कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया, जहां से प्रशिक्षण के साथ आपके सार्वजनिक जीवन में रचनात्मकता की शुरुआत हुई।

भारत छोड़ो आन्दोलन में

1942 में गांधीजी के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन की पुकार ने आपके तरुण मन को झकझोर दिया। उस समय जयपुर में आजाद मोर्चा द्वारा संचालित आन्दोलन में आपने सक्रियता से भाग लिया तथा नवलगढ़, मुकुन्दगढ़ आदि स्थानों पर स्कूल बन्द करा छात्रों को आन्दोलन में शामिल करने के लिये प्रेरित किया।

जेल यात्रा और सत्याग्रह

1946 में शेखावाटी में जब प्रजा मण्डल ने लगान बन्दी आन्दोलन शुरु किया तब प्रजा मण्डल सचिव के रूप में आपने सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। इसी दौरान 6 जनवरी, 1946 को पुलिस ने गिरफ्तार कर आपको जयपुर सेन्ट्रल जेल में बन्द कर दिया, जहां काल कोठरी में बन्द करने तथा राजनैतिक कैदी का दर्जा न दिये जाने के विरुद्ध आपने भूख हड़ताल के द्वारा सशक्त प्रतिरोध किया।

गांधी मार्ग के पथिक

1957 में राजस्थान के शीर्ष सर्वोदय नेता श्री गोकूल भाई भट्ट तथा श्री सिद्धराज ढड्ढ़ा के सानिध्य में प्रारम्भ हुई गांधी मार्ग की आपकी यात्रा आज भी जारी है। इस दौरान राजस्थान में पूर्ण शराब बन्दी तथा भूदान–ग्रामदान के लिये विनोबाजी के नेतृत्व में पदयात्रा आपके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं।

चम्बल के दस्युओं के समर्पण के साक्षी

आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में चम्बल घाटी की दस्यु समस्या के समाधान के लिये हुई पदयात्रा आपके जीवन की रोमांचकारी घटना है, जिसके दौरान लोकमान, माधोसिंह तथा मोहर सिंह जैसे दुर्दान्त दस्युओं ने विनोबा तथा जे.पी. के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।

गांव के सुख दुख के साथी

1965 में गांव देवरोड़ की पहाड़ी पर जब एक स्थानीय सेठ ने क्रेशर मशीन लगाकर सैंकड़ों गरीबों को बेरोजगार बना दिया तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं करने पर आपने सत्याग्रह का सहारा लिया। 84 दिन चले सत्याग्रह का तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप से सफलतापूर्वक समाधान हुआ।

अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर

मई, 1999 में वर्ल्ड ट्रेड ऑग्रेनाईजेशन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के नवीनीकरण्र का विश्व स्तर पर विरोध हो रहा था। ऐसे समय में पीपल्स ग्लोबल एक्शन नामक अन्तर्राष्ट्रीय किसान संगठन के निमंत्रण पर श्री ठाकुरदास बंग तथा श्री सिद्धराज ढड्ढ़ा के आग्रह पर आप राजस्थान के 12 सर्वोदय सेवकों को लेकर यूरोप पहुंचे तथा जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया तथा फ्रान्स, जर्मनी, इटली, रूस आदि अन्य देशों में हुये प्रदर्शनों में भी भाग लिया।

आयु के 92 वर्ष में भी चरखे के तार के साथ चल रही आपकी जीवन यात्रा सर्वोदय जगत के लिये ही नहीं, देश की नई पीढ़ी के लिये भी प्रेरणास्पद है।

हम आपके सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं।

मोतीहारी,
25 मार्च 2017

(महादेव विद्रोही)
अध्यक्ष

(शेख हुसैन)
महामंत्री

सर्व सेवा संघ SARVA SEVA SANGH
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल) (Akhil Bharat Sarvodaya Mandal)
महादेवभाई भवन, सेवाग्राम, वर्धा–442102, (महाराष्ट्र)
Mahadevbhai Bhavan, Sewagram, Wardha – 442102 (Maharashtra)

सर्वोदय सम्मान

श्री बिनय कृष्ण चक्रवर्ती,

देश और समाज के लिये काम करने का पाठ आपने बचपन में ही अपने पिताश्री तुलसी चरण चक्रवर्ती से सीख लिया था, जब आपने स्कूली शिक्षा के दौरान उनके सानिध्य में आजादी के आन्दोलन में भाग लेना शुरु किया। देशसेवा का यह व्रत गांधी विचार से प्रभावित होकर फलता फूलता गया।

आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में चले भूदान यज्ञ आन्दोलन ने आपको आकर्षित किया और पूरी निष्ठा के साथ आप उसमें शामिल हो गये। विनोबाजी जब पश्चिम बंगाल आये और कोलकाता, हुगली, हावड़ा आदि शहरों में पदयात्रा की, तो आप तन्मयता से उसमें शामिल हो गये और बड़ी मात्रा में भूमि दान में प्राप्त की।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलन में आपने बढ़–चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान छात्रों और युवाओं के सम्मेलन आयोजित कर उन्हें समाज परिवर्तन के इस आन्दोलन में शामिल होने के लिये प्रेरित करने में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

गांधी विचार से अनुप्राणित गांधी स्मारक निधि, गांधी शांन्ति प्रतिष्ठान, हरिजन सेवक संघ, नशा बन्दी मंडल, गांधी स्मारक समिति, भारत साधु समाज, ग्राम सेवक मण्डल जैसे पश्चिम बंगाल के अनेक सामाजिक–सांस्कृतिक संगठनों के पदाधिकारी के रूप में दी गई आपकी सेवाएं अविस्मरणीय हैं।

लाइब्रेरी मूवमेन्ट अर्थात 'पुस्तकालय अभियान' आपकी समाज को अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं विशेष देन है। पश्चिम बंगाल के युवाओं को पठन–पाठन की तरफ आकर्षित करने के लिये जन जागरण का जो कार्य आपने किया वह वर्तमान युग का अनूठा कार्य है। इसके लिये गांवों–शहरों में सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना के लिये विशेषरूप से गांधी साहित्य के अध्ययन के लिये नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने का जो महत्वपूर्ण कार्य आपने किया, वह वन्दनीय है!

लम्बे समय तक हावड़ा जिला सर्वोदय मण्डल के अध्यक्ष के रूप में अनुकरणीय कार्य आपने किये हैं।

आयु के 87वें वर्ष में भी आप सर्वोदय और गांधी विचार के प्रचार प्रसार के लिये निरन्तर सक्रिय हैं।

मोतिहारी में सम्पन्न सर्व सेवा संघ के 85वें अधिवेशन के अवसर पर सर्वोदय सम्मान से आपको सम्मानित करते हुये हमें अपार प्रसन्नता हो रही है।

मोतीहारी,
25 मार्च 2017

(महादेव विद्रोही)
अध्यक्ष

(शेख हुसैन)
महामंत्री

सर्व सेवा संघ (स्वत्वाधिकारी) के लिए महामंत्री, शेख हुसैन द्वारा सर्व सेवा संघ परिसर, राजघाट, वाराणसी (उ.प्र.) 221001 से प्रकाशित तथा प्रिन्टेक, इंडियन प्रेस कॉलोनी, मलदहिया, वाराणसी से मुद्रित। प्रधान संपादक : बिमल कुमार / संपादक : अशोक मोती।